

(शासकीय प्रयोगार्थ)

भाग-1

# उच्च शिक्षा संदर्शिका

NUEPA DC



D14295

उच्च शिक्षा विभाग


उत्तराखण्ड शासन

जून  
प्रकाशन वर्ष : 2012

आभार : मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) भारत सरकार।  
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।  
उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल) तथा  
उच्च शिक्षा शिविर कार्यालय, देहरादून।

378  
UTM-UT

संकलन : डा० सतपाल सिंह साहनी,  
सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा,  
शिविर कार्यालय, देहरादून  
टंकण : कु० स्वाती



संदर्शिका में प्रकाशित सूचनाएँ व समंक निरन्तर परिवर्तनशील हैं। इन सूचनाओं का उपयोग करने से पूर्व इसकी पुष्टि की जानी आवश्यक है। प्रकाशन का प्रयास होने के कारण संदर्शिका में मुद्रण एवं प्रकाशन की त्रुटियाँ व कमियाँ होना संभावित हैं। संदर्शिका में वांछित सुधार के लिए मूल्यवान सुझाव आमंत्रित हैं।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा राजकीय मुद्रणालय, रुड़की से मुद्रित।

# अनुक्रमणिका

## भाग-1

| क्रमांक | विषय  | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--------------|
| 1.      | प्रस्तावना  |              |
| 2.      | प्रदेश में उच्च शिक्षा का परिदृश्य।                           | 1-5          |
| 3.      | उत्तराखण्ड में विश्वविद्यालयों की प्रास्थिति।                 | 6-7          |
| 4.      | राजकीय महाविद्यालयों की प्रास्थिति।                           | 8-11         |
| 5.      | उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के दूरभाष व ई-मेल।            | 12           |
| 6.      | विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के दूरभाष, ई-मेल व बेवसाइट। | 13-21        |
| 7.      | उच्च शिक्षा से संबंधित अखिल भारतीय निकाय।                     | 22-23        |
| 8.      | सरकारी कार्यप्रणाली व व्यवहार।                                | 24-32        |
| 9.      | वेत्त विभाग के कतिपय महत्वपूर्ण शासनादेशों की सूची।           | 33-37        |

## भाग-2

### उच्च शिक्षा से संबंधित नीतिगत शासनादेश

#### (क) महाविद्यालयों की स्थापना, सम्बद्धता, क्लीरेंस, उच्चीकरण व नये विषयों का प्रारम्भ

| क्र.सं. | विषय   | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                                   | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--|--------------|
| 1.      | नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण | संख्या 4557/15-62 (11)-3 (30)/80<br>दिनांक 14 मार्च 1984     | 1-5          |
| 2.      | नये महाविद्यालय के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण   | संख्या 2992/15-11-86-3 (30)/80<br>दिनांक 17 जुलाई 1986       | 6-8          |
| 3.      | राजकीय महाविद्यालयों के भवनों के निर्माण हेतु आगणनों का मानकीकरण   | संख्या 1052/15-17-97-118/96<br>दिनांक 19 मार्च 1997          | 9-10         |
| 4.      | महाविद्यालयों तथा सार्वजनिक इमारतों एवं सस्थाओं का व्यक्ति विशेष के ऊपर नामकरण किया जाना   | संख्या 280/15-17-97-40 (36)/96<br>दिनांक 21 मई 1997          | 11           |
| 5.      | वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के विषयों में प्रदत्त अस्थाई सम्बद्धता के विस्तरण हेतु मानकों का निर्धारण                      | संख्या 3940-ए/सत्तर-2-99-2(131)/99<br>दिनांक 30 सितम्बर 1999 | 12           |

| क्र.सं. | विषय  | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                                     | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 6.      | उच्च शिक्षा के अन्तर्गत आने वाले सामान्य शिक्षा के पाठ्यक्रमों तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में प्रक्रिया का निर्धारण   | संख्या 862/सत्तर-2-2002-2(163)/99<br>दिनांक 13 मार्च 2000      | 13-114       |
| 7.      | नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण  | संख्या 1731/सत्तर-2-2000-2 (213)/99<br>दिनांक 27 मार्च 2000    | 115          |
| 8.      | नये महाविद्यालयों में एल.एल.बी. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने हेतु मानकों का निर्धारण  | संख्या 31/सत्तर-2-2000-2(1)/2000<br>दिनांक 4 अप्रैल 2000       | 16-17        |
| 9.      | महाविद्यालयों तथा सार्वजनिक इमारतों एवं संस्थाओं का व्यक्ति विशेष के ऊपर नामकरण किया जाना   | संख्या 462/सत्तर-2-2002-40 (36)/96<br>दिनांक 10 मई 2000        | 18           |
| 10.     | निजी संस्थाओं का नामकरण 'इण्डियन इन्स्टीट्यूट/इण्टर नेशनल/नेशनल/आल इण्डिया/हिन्दुस्तान आदि शब्दों से नहीं किये जाने के सम्बन्ध में  | संख्या 748/सत्तर-2-2000-2 (72)/2000<br>दिनांक 19 मई 2000       | 19           |
| 11.     | उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के प्रारम्भ करने आदि के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण | संख्या 3075/सत्तर-2-2002-2(166)/2002<br>दिनांक 27 सितम्बर 2002 | 20-27        |
| 12.     | शासकीय निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण  | संख्या : 452/XXVI (1)/2005<br>दिनांक 5 अप्रैल 2005             | 28-30        |
| 13.     | प्रदेश में स्थापित होने वाले महाविद्यालयों के लिए मानकों का निर्धारण  | संख्या : 752 XXIV/(6)/2006<br>दिनांक 17 अगस्त 2006             | 31           |
| 14.     | अस्थाई सम्बद्धता की संरुति के लिए निरीक्षण मण्डल के गठन के संबंध में  | संख्या 07/XXIV (7)/2007-6(232)06<br>दिनांक 11 जनवरी 2007       | 32-34        |
| 15.     | शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्थाओं का निर्धारण  | संख्या 504/11 (1)09-04 (सामान्य)/2008<br>दिनांक 13 मार्च 2009  | 35-36        |

**(ख) प्राध्यापकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदसृजन, अर्हताएँ,  
चयन प्रक्रिया, नियुक्ति व पदोन्नति**

|    |  |   |       |
|----|--|---|-------|
| 1. | सम्बद्ध सहयुक्त महाविद्यालयों में गैर शिक्षक कर्मचारियों के पदों के सृजन हेतु मानकों का निर्धारण   | संख्या 4557 (क) /15-82(11)-3(30)/80<br>दिनांक 14 मार्च 1984 | 37-39 |
| 2. | महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पदों का सृजन तथा उनके कार्यभार के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण                               | संख्या 4557 (ख) /15-82(11)-3 (30)/80<br>दिनांक 26 मई 1984   | 40-41 |
| 3. | नये महाविद्यालयों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों के प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण | संख्या 2992/15-11-86-3(30)/80<br>दिनांक 17 जुलाई 1986       | 42-44 |

| क्र.सं. | विषय  | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                                     | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 4.      | चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह-ग) के न्यूनतम श्रेणी के लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाया जाना   | संख्या 37/1/69-का2/1995<br>दिनांक 08 सितम्बर 1995              | 45           |
| 5.      | राज्य विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के छात्रावास हेतु शिक्षणोत्तर पदों के मानक  | संख्या 3893/सत्तर-4/97-46(38)/96<br>दिनांक 30 दिसम्बर 1997     | 46-47        |
| 6.      | उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितिकरण नियमावली 2002  | संख्या-1113/कार्मिक-2/2002<br>दिनांक 07 अगस्त 2002             | 48-49        |
| 7.      | उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा नियमावली 2003   | संख्या 703/उच्च शिक्षा/2003-3(14) 2001<br>दिनांक 25 अगस्त 2003 | 50-58        |
| 8.      | चतुर्थ श्रेणी (समूह-घ) के कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी (समूह-ग) के न्यूनतम श्रेणी लिपिकीय पदों में पदोन्नति के अवसर बढ़ाया जाना।   | संख्या 855/कार्मिक-2/2003<br>दिनांक 2 सितम्बर 2003             | 59           |
| 9.      | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान घायल/जेल गये आन्दोलनकारियों को सेवायोजन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में   | संख्या 1269/तीस-2/2004<br>दिनांक 11 अगस्त 2004                 | 60-61        |
| 10.     | उत्तरांचल उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2005   | संख्या 123/XXIV(7)/2005-3(14)2001<br>दिनांक 9 मई 2005          | 62-64        |
| 11.     | राजकीय महाविद्यालयों में नये विषय प्रारम्भ करने के लिए प्रक्रिया का निर्धारण  | संख्या 410/XXIV (7)/2005<br>दिनांक 19 अगस्त 2005               | 65           |
| 12.     | उत्तम शैक्षिक अभिलेख की परिभाषा   | संख्या 785/XXIV (7)/2006-03(15) 2005<br>दिनांक 24 अगस्त 2006   | 66-67        |
| 13.     | विश्व बैंक पोषित/बाह्य सहायित परियोजनाओं/आईटीडीडी0ए0 आदि में बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के अन्तर्गत कार्यरत पूर्णकालिक सरकारी कार्मिकों के लिए सेवा शर्तों का निर्धारण                                   | संख्या 209/XXVII (7)प्र0श0/2006<br>दिनांक 16 नवम्बर 2006       | 68-71        |
| 14.     | उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2008  | संख्या 730/XXIV (7)23(1)/2009<br>दिनांक 30 जून 2009            | 72           |
| 15.     | उत्तराखण्ड (लोक सेवाआयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए "ज्येष्ठता" एवं "श्रेष्ठता" के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया नियमावली 2009 | संख्या 478/XXX (2)/2009-3(1)/2007<br>दिनांक 8 जुलाई 2009       | 73-75        |
| 16.     | वेतन समिति की संस्तुतियों के क्रम में समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतन संरचना में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाना   | संख्या 83/XXVII(7)/2010<br>दिनांक 07 जनवरी 2010                | 76-78        |
| 17.     | विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन   | संख्या 443/XXVII (7)/2010<br>दिनांक 09 फरवरी 2010              | 79-80        |
| 18.     | मिनिस्टीरियल संवर्ग में स्टाफिंग पैटर्न में संशोधन  | संख्या 183/XXX (2)/2010<br>दिनांक 11 फरवरी 2010                | 81-82        |

| क्र.सं. | विषय  | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                                | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|---|--------------|
| 19.     | मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पद को राजपत्रित पद घोषित किया जाना  | संख्या 1086/ XXX (2)2010<br>दिनांक 27 दिसम्बर 2010        | 83           |
| 20.     | मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के संशोधित स्टाफिंग पैटर्न  | संख्या 1165/ XXX (2) 2010<br>दिनांक 27 सितम्बर 2010       | 84           |
| 21.     | उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बन्ध में  | संख्या 2050/XXIV (7)34(1)/2010<br>दिनांक 21 फरवरी 2011    | 85-86        |
| 22.     | वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में                                   | संख्या 875/xxiv (7)न0प्रति0/2011<br>दिनांक 08 मार्च 2011  | 87-88        |
| 23.     | उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण नियमावली 2011   | संख्या 170/XXX (2)/2011<br>दिनांक 01 जून 2011             | 89-90        |
| 24.     | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी निर्गत विनियम 2010 के आलोक में असिस्टेंट प्रोफेसर (प्रवक्ता) पद हेतु शैक्षिक अर्हताओं के निर्धारण के सम्बन्ध में | संख्या 1748/XXIV (7)10(1)/2010<br>दिनांक 30 सितम्बर 2011  | 91-92        |
| 25.     | उत्तराखण्ड उच्चतर शिक्षा (समूह 'क') सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011  | संख्या 2015/ XXIV (7)/23(1)/2009<br>दिनांक 16 नवम्बर 2011 | 93-94        |

### (ग) वेतनमान, व कैरियर एडवांसमेंट स्कीम

|    |   |   |         |
|----|---|---|---------|
| 1. | सम्बद्ध/सहयुक्त/सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालयों के शिक्षकों को एक कालेज छोड़कर दूसरे कालेज में कार्यभार ग्रहण करने पर पूर्व कालेज में प्राप्त वेतन संरक्षित किये जाने विषयक अधिकार का प्रतिनिधायन           | संख्या 4247/15-11-87-18 (51)/72<br>दिनांक 26 दिसम्बर 1988       | 95-96   |
| 2. | राज्य विश्वविद्यालय में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर विधिवत चयन एवं नियुक्ति अध्यापकों की नव नियुक्ति के समय पूर्व संस्थाओं में उनके द्वारा प्राप्त वेतनवृद्धि की तिथि का संरक्षण | संख्या 3937/15 (15)/95-4 (1)/80<br>दिनांक 10 जनवरी 1996         | 97      |
| 3. | कैरियर एडवान्समेंट स्कीम लागू करने के संबंध में परिनियम बनाया जाना  | संख्या 4078/मा0सं0वि0/2001-3(163)/2001<br>दिनांक 6 दिसम्बर 2001 | 98-103  |
| 4. | सम्बद्ध/सहयुक्त/सहायता प्राप्त गैर सरकारी महाविद्यालय/शासकीय महाविद्यालय के शिक्षकों को एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पर पूर्व महाविद्यालय में प्राप्त वेतन का संरक्षण                | संख्या 12/चौबिस (6)-44-2006<br>दिनांक 18 दिसम्बर 2006           | 104-105 |
| 5. | वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 25 अक्टूबर 2005 का स्पष्टीकरण  | संख्या 395- XXIV (7)/2008<br>दिनांक 17 अक्टूबर 2008             | 106-114 |

| क्र.सं. | विषय   | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                                 | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--|--------------|
| 6.      | राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या 395/XXVII (7)/2008 स्पष्टीकरण   | संख्या : 27/XXVII (7)(स्प0-1)/2009<br>दिनांक 13 फरवरी 2009 | 115-117      |
| 7.      | राज्य विश्वविद्यालय रा0 महा0 एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महा0 के शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्ग को छठे वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में यू0जी0सी0 के अनुरूप पदनाम परिवर्तन एवं वेतनमानों को पुनरीक्षित किए जाने के सम्बन्ध में   | संख्या 138/XXVII (7)/2009<br>दिनांक 11 नवम्बर 2009         | 118-125      |
| 8.      | प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/उप पुस्तकालयाध्यक्ष/पुस्तकालयाध्यक्ष तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त शासकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के पुस्तकालयाध्यक्षों को यू0जी0सी0 द्वारा संस्तुत कैरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में | संख्या 1332/XXVII (7) 24 (5)/2009<br>दिनांक 06 अगस्त 2010  | 126-127      |
| 9.      | कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अर्न्तगत अभिविन्यास/पुनश्चर्चा पाठ्यक्रम पूर्ण करने की तिथि विस्तारण के सम्बन्ध में   | संख्या 1516/XXVII (7) 43(1)/2010<br>दिनांक 26 नवम्बर 2010  | 128          |
| 10.     | राज्य कर्मचारियों/शिक्षकों (सहायता प्राप्त महाविद्यालय/विश्वविद्यालय) को दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति के संबंध में शासनादेश संख्या 395/XXVII (7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर 2008 का स्पष्टीकरण  | संख्या 731/XXVII (7)/2010<br>दिनांक 08 दिसम्बर 2010        | 129-130      |
| 11.     | उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड में मिनिस्ट्रियल संवर्ग में संशोधित संवर्ग में संशोधित स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने के सम्बन्ध में  | संख्या 2050/(7)3(1)/2010<br>दिनांक 21 फरवरी 2011           | 131-132      |
| 12.     | राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) से संबंधित शासनादेश संख्या 10/XXVII (7) 40 (IX)/2011 दिनांक 07 अप्रैल 2011 के संलग्नक के उदाहरण-1 का स्पष्टीकरण   | संख्या 65/XXVII (7) 40 (IX)/2011<br>दिनांक 04 अगस्त 2011   | 133-135      |
| 13.     | सहायता प्राप्त शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को समयमान वेतनमान की स्वीकृति   | संख्या 130/XXVII (7) 38/2011<br>दिनांक 19 अगस्त 2011       | 136-140      |

### (घ) उपस्थिति, अनुशासन व शुल्क

|    |   |  |         |
|----|---|--|---------|
| 1. | शैक्षिक पंचांग का अनुपालन, छात्रों की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति एवं अध्यापकों की प्राइवेट ट्यूशन/कोचिंग पर रोक                    | संख्या 2183/सत्तर-1-97-15(3)/97<br>दिनांक 12 नवम्बर 1997 | 141     |
| 2. | प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के गैर स्व0 वित्तपोषित अर्थात् सामान्य शुल्क ढांचे का पुनरीक्षण        | संख्या 1991/70-2/98-16 (49)/98<br>दिनांक 17 अक्टूबर 1998 | 142-143 |
| 3. | राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों से लिये जाने वाले मंहगाई और प्रयोगशाला शुल्क का निर्धारण    | संख्या 2806/70-4/2000-46 (50)99<br>दिनांक 10 अगस्त 2000  | 144     |
| 4. | राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में एल0एल0बी0/बी0एड0 आदि व्यवसायिक पाठ्यक्रमों शिक्षण शुल्क का निर्धारण | संख्या 2807/70-4/2000-46 (50)/99<br>दिनांक 10 अगस्त 2000 | 145     |

| क्र.सं. | विषय  | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                                      | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|---|--------------|
| 5.      | विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में रैनिंग को प्रतिबन्धित किया जाना   | संख्या 1610/सत्तर-1-2000<br>दिनांक 19 अगस्त 2000                | 146          |
| 6.      | विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में द्वितीय पाली/साध्यकालीन कक्षाएँ प्रारम्भ किया जाना                                    | संख्या 2542/मा0सं0वि0/2001-3 (100)/2001<br>दिनांक 24 जुलाई 2001 | 147-148      |
| 7.      | महाविद्यालय स्तर पर बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में                                    | संख्या 50/उच्च शिक्षा/2003<br>दिनांक 12 मई 2003                 | 149          |
| 8.      | राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर तक समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में | संख्या 411/XXIV (7) घो0-12/2010<br>दिनांक 16 मार्च 2011         | 150          |

### (च) स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय

|     |  |  |         |
|-----|--|--|---------|
| 1.  | उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण   | संख्या 1960/सत्तर-2-97-2(85)/97<br>दिनांक 11 नवम्बर 1997       | 151-153 |
| 2.  | निजी प्रबन्ध तन्त्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान के लिए मानकों का निर्धारण                                     | संख्या 35/सत्तर-6/99-77/98<br>दिनांक 19 मई 1999                | 154-155 |
| 3.  | विश्वविद्यालयों/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में मानक                   | संख्या 1753/70-4/99-7(7)/94<br>दिनांक 28 जून 1999              | 156-157 |
| 4.  | उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण   | संख्या 4228 ए/सत्तर-2-99-2-(85)/97<br>दिनांक 30 अक्टूबर 1999   | 158-159 |
| 5.  | विश्वविद्यालयों में स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न शैक्षिक/शिक्षणेत्तर पदों के संबंध में मानक  | संख्या : 0214/70-4/2000-7 (7)/94<br>दिनांक 4 फरवरी 2000        | 160-161 |
| 6.  | उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण   | संख्या : 2443/सत्तर-2-2000-2 (85)/97<br>दिनांक 9 मई 2000       | 162-163 |
| 7.  | उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु मानकों का निर्धारण   | संख्या 2211/सत्तर-2-2000-2-(239)98टी0सी0<br>दिनांक 20 मई 2000  | 164     |
| 8.  | असहायता प्राप्त महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के असहायता प्राप्त (वित्त विहीन) पाठ्यक्रमों को स्ववित्त पोषित आधार पर चलाये जाने की स्वीकृति | संख्या 1560 (1)/सत्तर-6/2000-51/99<br>दिनांक 30 अगस्त 2000     | 165     |
| 9.  | निजी प्रबन्धतन्त्रों द्वारा असेवित क्षेत्रों में स्ववित्त पोषित महाविद्यालय खोलने हेतु अनुदान के लिए मानकों का निर्धारण                                      | संख्या 1109/सत्तर-6/2000-77/98 टी0सी0<br>दिनांक 1 सितम्बर 2000 | 166     |
| 10. | विधि, बी0एड0 आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने के सम्बन्ध में  | संख्या 338/XXIV-7/2005<br>दिनांक 25 अप्रैल 2005                | 167-168 |

| क्र.सं. | विषय   | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                                 | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--|--------------|
| 11.     | निजी संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क निर्धारण एवं प्रवेश परीक्षा समिति के सदस्यों को मानदेय एवं अन्य व्ययों का भुगतान                              | संख्या : 46 XXIV (6)/2006<br>दिनांक 3 नवम्बर 2006          | 169          |
| 12.     | बी.एड., बी.पी.एड. को व्यावसायिक पाठ्यक्रम घोषित किया जाना  | संख्या 46/XXIV (7) (6)/2006<br>दिनांक 27 नवम्बर 2006       | 170          |
| 13.     | प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित आधार पर बी0एड0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश                                   | संख्या 33/ XXIV (7)/2008-09<br>दिनांक 19 सितम्बर 2008      | 171-172      |
| 14.     | उत्तराखण्ड अनानुदानिक निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम संशोधन अधिनियम 2010)   | संख्या 145/XXXVII (3)/13(1)/2010<br>दिनांक 26 मार्च 2010   | 173-175      |
| 15.     | राजकीय महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बी0एड0 पाठ्यक्रम संचालन हेतु शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर स्टाफ की व्यवस्था हेतु नवीन मानदण्डों के निर्धारण के संबंध में | संख्या : 371 /XXIV (7)/51 (3)/2010<br>दिनांक 7 अप्रैल 2010 | 176-182      |

### (छ:) अधिवर्षता, सत्रांत लाम, अशदान योजना

|    |   |   |         |
|----|---|---|---------|
| 1. | राजकीय विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों तथा प्रधानाचार्यों को अधिवर्षता आयु के बाद उन्हें दिये गये सेवा विस्तरण अवधि की गणना उनकी पेंशन के निर्धारण में करने के संबंध में   | संख्या : 128/15-1-2002<br>दिनांक 9 अप्रैल 1992                | 183     |
| 2. | राज्य विश्वविद्यालयों/अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति की सुविधा  | संख्या 503/सत्तर-6/98-3(7)/97 पी0सी<br>दिनांक 21 मई 1998      | 184-185 |
| 3. | 9 नवम्बर 2000 या तदुपरान्त सेवानिवृत्त उत्तरांचल राज्य हेतु नियुक्त या विकल्प देने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवानैवृत्तिक लाम स्वीकृत करने के सम्बन्ध में   | संख्या : 0045/स0वि0अ0/कैम्प/2000<br>दिनांक 29 दिसम्बर 2000    | 186-187 |
| 4. | विश्वविद्यालयों एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में  | संख्या 2613/मा0स0वि0/2001<br>दिनांक 3 अक्टूबर 2001            | 188     |
| 5. | राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ता/प्राचार्यों को अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवा विस्तरण   | संख्या 130/उच्च शिक्षा/2002-3(1)/2000<br>दिनांक 06 मार्च 2002 | 189     |
| 3. | राज्याधीन सरकारी सेवकों की अधिवर्षता आयु 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष किये जाने की स्वीकृति  | संख्या : 806 (1)/का0-2-2002<br>दिनांक 15 जून 2002             | 190     |
| 7. | राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्रवक्ताओं एवं प्राचार्यों को अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के उपरान्त सेवा विस्तरण  | संख्या : 582/ XXIV-1/2004-3(1) 2000<br>दिनांक 2 दिसम्बर-2004  | 191     |
| 8. | राज्य के विश्व विद्यालय कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लामों की अनुमन्यता | संख्या 220/xvii (3) अ.आ./2005<br>दिनांक 18 जून 2005           | 192-193 |

| क्र.सं. | विषय  | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                            | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|---|--------------|
| 9.      | राज्य के विश्व विद्यालय कृषि विश्वविद्यालय तथा उनसे सम्बद्ध/सहयुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों को अधिवर्षता आयु पर समान रूप से सेवानैवृत्तिक लाभों की अनुमन्यता | संख्या 248/ xxvii (3) अ.आ./2005<br>दिनांक 25 जून 2005 | 194-195      |
| 10.     | राष्ट्रीय स्तर की फैलशिप/पुरस्कार प्राप्त प्राध्यापकों की अधिवर्षता आयु में वृद्धि के सम्बन्ध में   | संख्या : 583/xxiv (6)/2005<br>दिनांक 30 जून 2005      | 196-197      |
| 11.     | सेवा निवृत्ति की तिथि   | संख्या : 507/ xxvii (7)/2010<br>दिनांक 30 मार्च 2010  | 198          |
| 12.     | अधिसूचना संख्या:21/xxvii (7)(7) अं0पै0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अनुसार चिकित्सा शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं कृषि विभाग के शिक्षण संस्थाओं में लागू करने के विषय में व्यवस्था             | संख्या : 832/ xxvii (7)/2011<br>दिनांक 4 मार्च 2011   | 199-200      |

**(ज) सेवाएँ, आरक्षण, अवकाश, प्रशिक्षण,  
व सेवा विस्तारण**

|     |  |  |         |
|-----|--|--|---------|
| 1.  | आकस्मिक अवकाश के आरम्भ या अन्त में छुट्टियों या अन्य अकार्य दिवसों (Non Working Days) का जोड़ा जाना                            | संख्या : 3/1-1979 कार्मिक-1<br>दिनांक 18 अक्टूबर 1979          | 201     |
| 2.  | परिवार/नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबन्दी आपरेशन कराने वाले सरकारी कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश                        | संख्या : 3/1-1981 कार्मिक-1<br>दिनांक 1 दिसम्बर 1981           | 202-203 |
| 3.  | गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए तृतीय श्रेणी के पदों में आरक्षण के सम्बन्ध में     | संख्या 1848/15-84 (11)/14(1)/82<br>दिनांक 28 मई 1984           | 204     |
| 4.  | महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा शिक्षण तथा परीक्षा कार्य किया जाना  | संख्या 3645/15-84 (11)-14 (22)/82<br>दिनांक 30 नवम्बर 1984     | 205     |
| 5.  | विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों के लिए निर्धारित आचार संहिता एवं कार्य निष्पादन मूल्यांकन आख्या का अनुपालन      | संख्या 1974/15 (11)/95-14 (2)/95<br>दिनांक 24 मई 1995          | 206     |
| 6.  | प्रसूति अवकाश सीमा में वृद्धि  | संख्या : सा-4-394/दस-99-216/79<br>दिनांक 4 जून 1999            | 207     |
| 7.  | अवकाश खाते में उपाजित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में वृद्धि   | संख्या सा-4-392/दस-99-203/86<br>दिनांक 4 जुलाई 1999            | 208     |
| 8.  | राज्याधीन सेवाओं, शिक्षण संस्थाओं तथा सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के सम्बन्ध में | संख्या : 1144/कार्मिक-2-2001-53(1)2001<br>दिनांक 18 जुलाई 2001 | 209     |
| 9.  | पदोन्नतियों में आरक्षण नीति लागू करने हेतु रोस्टर  | संख्या : 1455/कार्मिक-2-2001<br>दिनांक 31 अगस्त 2001           | 210-211 |
| 10. | सीधी भर्ती में आरक्षण नीति को लागू करने हेतु रोस्टर  | संख्या : 1454/कार्मिक-2-2001<br>दिनांक 31 अगस्त 2001           | 212-213 |

| क्र.सं | विषय  | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                                   | पृष्ठ संख्या |
|--------|---|--|--------------|
| 11.    | वेश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों के अध्यापकों द्वारा विदेश में शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में   | संख्या : 745/मा0सं0वि0/2002-03<br>दिनांक 01 अगस्त 2002       | 214          |
| 12.    | विदेश प्रशिक्षण, विदेश सेवायोजन, गोष्ठी, सेमिनार तथा व्यक्तिगत कार्य से विदेश जाने हेतु प्रदेश के सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान किया जाना                    | संख्या : 1009/कार्मिक-2/2003<br>दिनांक 8 जुलाई 2003          | 215-216      |
| 13.    | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों के सुविधायें प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में   | संख्या : 1270/तीस-2/2004<br>दिनांक 11 अगस्त 2004             | 217-218      |
| 14.    | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान 7 दिन से कम जेल गये आन्दोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्वैतिज आरक्षण की सुविधा   | संख्या : 1058/XXXii/2006<br>दिनांक 7 अप्रैल 2006             | 219          |
| 15.    | राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण दिये जाने के संबंध में  | संख्या : 04/XXX(2)/2006<br>दिनांक 13 जून 2006                | 220          |
| 16.    | उत्तरांचल की राज्याधीन सेवाओं/निगमों/सार्वजनिक उद्यमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में महिलाओं को क्वैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में                  | संख्या : 1968/XXX(2)/2006<br>दिनांक 24 जुलाई 2006            | 221-222      |
| 17.    | राज्य सरकार के अधीन सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों तथा शिक्षण संस्थाओं में सेवायोजन में विशिष्ट खिलाड़ियों को क्वैतिज आरक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में       | संख्या : 2481/XXX(2)/2006<br>दिनांक 6 अक्टूबर 2006           | 223-226      |
| 18.    | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान करने के सम्बन्ध में  | संख्या 4020/XX(4)-7/उ0आन्दो/2006<br>दिनांक 8 नवम्बर 2006     | 227-229      |
| 19.    | उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के दौरान जेल गये आन्दोलनकारियों को सुविधायें प्रदान किये जाने के संबंध में   | संख्या : 776/XX(4)26/उ0 आ0/2006-08<br>दिनांक 22 अक्टूबर 2008 | 230          |
| 20.    | अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन  | संख्या : 737/xxvii(7)/2010<br>दिनांक 27 अक्टूबर 2010         | 231-232      |
| 21.    | राज्याधीन सेवाओं में विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार गणना करते हुए बैकलॉग को भरे जाने हेतु विशेष भर्ती अभियान                           | संख्या : 1905/XXX(2)/2010<br>दिनांक 17 जनवरी 2011            | 233-234      |
| 22.    | आय या सम्पत्ति मानदण्ड  | संख्या 385/XXX(2)/11-55(46)/2004<br>दिनांक 18 मार्च 2011     | 235          |
| 23.    | राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति  | संख्या : 11/xxvii(7)34/2011<br>दिनांक 30 मई 2011             | 236-237      |
| 24.    | श्रेणी 'घ' से 'ग' में हाईस्कूल उत्तीर्ण कार्मिकों के लिए 15 प्रतिशत तथा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण कार्मिकों के लिए 10 प्रतिशत के निर्धारित कोटे में चयन के सम्बन्ध | संख्या : 966/XXX(2)/2011<br>दिनांक 29 जून 2011               | 238-239      |

| क्र.सं.                        | विषय   | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                                     | पृष्ठ संख्या |
|--------------------------------|--|--|--------------|
| <b>(झ) अशासकीय महाविद्यालय</b> |  |  |              |
| 1.                             | गैर सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्तियों का अनुमोदन  | संख्या 9176/15-77-11-18 (190)/76<br>दिनांक 12 अप्रैल 1979      | 240          |
| 2.                             | प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालय के छात्रों से ली जाने वाली छात्र निधियों का रख-रखाव एवं उपयोग  | संख्या 5125/15-11-86-4 ए(45)/85<br>दिनांक 10 जुलाई 1986        | 241-242      |
| 3.                             | अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में छात्रों से शुल्क बैंक के माध्यम से प्राप्त किया जाना  | संख्या 8202/15-112-86-4 ए(46)/85<br>दिनांक 19 जुलाई 1986       | 243          |
| 4.                             | रिक्त पदों के प्रति अनुज्ञा के सम्बन्ध में   | संख्या डिग्री अर्थ/1989-2464/1988<br>दिनांक 6 मई 1988          | 244          |
| 5.                             | राज्य निधि के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय के सेवा निवृत्त शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पेंशनादि के भुगतान प्रक्रिया का सरलीकरण   | संख्या 1212/15-19-94-17 (34)/94<br>दिनांक 11 अगस्त 1994        | 245-246      |
| 6.                             | प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किये जाने हेतु मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में  | संख्या 296/15-19-95-3 (2)/93<br>दिनांक 4 मार्च 1995            | 247-248      |
| 7.                             | सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के मृतक शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के आश्रितों को सेवायोजित किया जाना   | संख्या 2215/15-19-95-1/93<br>दिनांक 21 नवम्बर 1995             | 249-250      |
| 8.                             | अशासकीय महाविद्यालयों में पुस्तकालयाध्यक्ष/उपपुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर चयन/अनुमोदन से संबंधित आवश्यक निर्देश।  | डिग्री अर्थ-1/16703-17218/95-96<br>दिनांक 2 फरवरी 1996         | 251-253      |
| 9.                             | सम्बद्धता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों की किसी कक्षा में नया सेक्शन खोलने हेतु अनुज्ञा दिये जाने से पूर्व राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जाना  | संख्या 538/सत्तर-2-99-2 (225)/98<br>दिनांक 26 फरवरी 1999       | 254          |
| 10.                            | राजकीय महाविद्यालयों एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में छात्रों से लिए जाने वाले महंगाई शुल्क और प्रयोगशाला शुल्क का निर्धारण  | संख्या 2806/70-4/2000-46(50)/99<br>दिनांक 10 अगस्त 2000        | 255          |
| 11.                            | उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के संघटक/सम्बद्ध/सहयुक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त प्राचार्य के पद पर सत्रान्त लाभ दिए जाने पर प्रतिबन्ध विषयक | संख्या 1587/सत्तर-2-2001-16(129)/2001<br>दिनांक 2 जून 2001     | 256          |
| 12.                            | उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा नियंत्रित विश्वविद्यालय के संघटक/सम्बद्ध/सहयुक्त सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु प्राप्त करने के उपरान्त प्राचार्य के पद पर सत्रान्त लाभ दिए जाने पर प्रतिबन्ध विषयक | संख्या 2493/सत्तर-2-2001-16(129)/2001<br>दिनांक 5 जुलाई 2001   | 257          |
| 13.                            | अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में मृतक आश्रितों के सेवा योजन के सम्बन्ध में   | संख्या 2452/मा0सं0वि0/2001-3 (35)/2001<br>दिनांक 10 जुलाई 2001 | 258          |

| क्र.सं. | विषय  | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                                   | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|--|--------------|
| 14.     | अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना | संख्या 661/उच्च शिक्षा/2002<br>दिनांक 12 जुलाई 2002          | 259          |
| 15.     | अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापन कार्य लिया जाना | संख्या 539/उच्च शिक्षा/2003-3(6)2000<br>दिनांक 02 जुलाई 2003 | 260          |
| 16.     | अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्राचार्य/प्रवक्ता के रिक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में   | संख्या : 1059/उ0शि0/2003<br>दिनांक 10 दिसम्बर 2003           | 261-262      |
| 17.     | सम्बद्ध एवं सहयुक्त महाविद्यालयों में प्रवक्ता एवं प्राचार्य के रिक्त पदों पर चयन के सम्बन्ध में  | संख्या 463/ xxiv (7)/2005<br>दिनांक 25 मई 2005               | 263-265      |
| 18.     | प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों को अल्पसंख्यक संस्था घोषित किए जाने हेतु मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में  | संख्या 218 xxiv (6)/6(76) 06-2006<br>दिनांक 5 अप्रैल 2006    | 266-269      |
| 19.     | अशासकीय महाविद्यालयों के सेवा-निवृत्त शिक्षकों को पेंशन हेतु विकल्प परिवर्तन की सुविधा अनुमत्य किये जाने के संबंध में                               | संख्या : 237/ xxvii (7)/2006<br>दिनांक 8 दिसम्बर 2006        | 270-272      |
| 20.     | अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारियों के सम्बन्ध में संशोधित बचतमय लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू किया जाना      | संख्या : 44/xxiv (7)/2008<br>दिनांक 6 नवम्बर 2008            | 273-275      |
| 21.     | अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्र कर्मचारियों के सम्बन्ध में संशोधित बचतमय लागू सामूहिक जीवन बीमा योजना किया जाना           | संख्या : 7073-91/2008-09<br>दिनांक 15 नवम्बर 2008            | 276          |
| 22.     | शिक्षकों/शिक्षणेत्र कार्मिकों के रिक्त पदों के प्रति आरक्षण की पूर्ति किये जाने सम्बन्धी  | संख्या 440-56/2011-12<br>दिनांक 19 जुलाई 2011                | 277          |

(ट) अन्य विषय : विजिटिंग/संविदा प्रवक्ता, निजी विश्वविद्यालय, प्रत्यायन, प्रोत्साहन, अंकेक्षण, निरीक्षण, नियन्त्रण, स्लेट, उपनल, शिकायती पत्र, न्यायलीय वाद इत्यादि

|    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 1. | अभिलेखों का निर्दान  | संख्या 3339/तैतालीस-1-92-37(1)/84<br>दिनांक 30 जनवरी 1993   | 278-284 |
| 2. | राज्य विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं पर मैचिंग ग्राण्ट  | संख्या 2638/पन्द्रह (15)94-46(20)94<br>दिनांक 23 जुलाई 1994 | 285     |
| 3. | विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की सेवा शर्तें  | संख्या 2216/सत्तर-1-98-15 (1)/95<br>दिनांक 18 जून 1999      | 286     |
| 4. | राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं पर उ0प्र0 सरकार द्वारा मैचिंग ग्रांट/वचनबद्धता उपलब्ध कराया जाना | संख्या 736/70-4/2000-46(20)/94<br>दिनांक 15 मार्च 2000      | 287     |

| क्र.सं. | विषय   | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                                     | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--|--------------|
| 5.      | उच्च शिक्षा में रिक्त शिक्षकों के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी की व्यवस्था   | संख्या 457/मा0सं0वि0/2001-3(6)/2000<br>दिनांक 27 जनवरी 2001    | 288          |
| 6.      | एन0सी0सी0 प्रमाण पत्र धारकों के लिए विभिन्न शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं में आगामी शिक्षा सत्र में प्रवेश हेतु आरक्षण व्यवस्था                              | संख्या 2269/मा0सं0वि0/2(200)/2001<br>दिनांक 7 जून 2001         | 289          |
| 7.      | उच्च शिक्षा निदेशालय का गठन एवं पदों का सृजन   | संख्या 1721/मा.सं.वि./2001-3 (35)2001<br>दिनांक 17 जुलाई 2001  | 290-291      |
| 8.      | उच्च शिक्षा में रिक्त शिक्षकों के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी की व्यवस्था   | संख्या 457/मासं0वि0/2001<br>दिनांक 09 अगस्त 2001               | 292          |
| 9.      | विजिटिंग फैकल्टी के शिक्षकों को मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में   | संख्या 131 /उच्च शिक्षा/2002<br>दिनांक 7 मार्च 2002            | 293          |
| 10.     | प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी (विजिटिंग लैक्चरर) की व्यवस्था   | संख्या 624/उच्च शिक्षा/2002-3(18)/2002<br>दिनांक 12 जुलाई 2002 | 294          |
| 11.     | राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को अन्यत्र सेवा में सम्मिलित होने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में                      | संख्या : 795/उच्च शिक्षा/2002<br>दिनांक 24 सितम्बर 2002        | 295          |
| 12.     | प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गये विजिटिंग लैक्चरर/निश्चित मानदेय शिक्षकों के मानदेय का निर्धारण              | संख्या 1091/उच्च शिक्षा/2002<br>दिनांक 25 नवम्बर 2002          | 296          |
| 13.     | देहरादून में निदेशक उच्च शिक्षा के शिविर कार्यालय की स्थापना करते हुए उप निदेशक के कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण                                     | संख्या : 1208/उच्च शिक्षा/2002<br>दिनांक 09 दिसम्बर 2002       | 297-298      |
| 14.     | प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत विजिटिंग लैक्चरर को परीक्षा अवधि तक मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में  | संख्या 276/उच्च शिक्षा/2003<br>दिनांक 03 जून 2003              | 299          |
| 15.     | अशासकीय सहायता प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर निश्चित मानदेय के आधार पर शिक्षकों से अध्यापना कार्य लिया जाना | संख्या 612/उच्च शिक्षा/2003<br>दिनांक 10 जुलाई 2003            | 300-301      |
| 16.     | प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी (विजिटिंग लैक्चरर) की व्यवस्था   | संख्या 576/उच्च शिक्षा/2003<br>दिनांक 10 जुलाई 2003            | 302-303      |
| 17.     | प्रदेश के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में  | संख्या 584/उ0शि0/2003<br>दिनांक 16 जुलाई 2003                  | 304-305      |
| 18.     | प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग लैक्चरर की व्यवस्था  | संख्या 679/उ0शि0/2003<br>दिनांक 22 जुलाई 2003                  | 306          |
| 19.     | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के सम्बन्ध में   | संख्या 666/उ0शि0/2003<br>दिनांक 02 अगस्त 2003                  | 307-308      |
| 20.     | दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता   | संख्या 810 XXIV-1/2004<br>दिनांक 27 सितम्बर 2004               | 309-310      |

| क्र.सं. | विषय   | शासनादेश संख्या एवं दिनांक   | पृष्ठ संख्या |
|---------|--|--|--------------|
| 21.     | मा0 उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में   | संख्या 820/ xxiv-1/2004<br>दिनांक 20 अक्टूबर 2004                  | 311-312      |
| 22.     | प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त प्रवक्ताओं के पदों पर विजिटिंग फैकल्टी (विजिटिंग लैक्चरर) की व्यवस्था   | संख्या 941/xxiv -1/2004-3(6)2000<br>दिनांक 03 नवम्बर 2004          | 313          |
| 23.     | उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (द्वितीय संसोधन) अधिनियम, 2005   | संख्या 421/विधायी एवं संसदीय कार्य/2005<br>दिनांक 31 जनवरी 2005    | 314-315      |
| 24.     | समस्त प्रमाण पत्रों एवं प्रलेखों (Documents) में माता का नाम भी सम्मिलित किया जाना   | संख्या 1041/ xxxi (13)G/2005<br>दिनांक 21 दिसम्बर 2005             | 316          |
| 25.     | लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी का नामन  | संख्या 190 xxiv (7)/2006<br>दिनांक 08 मार्च 2006                   | 317          |
| 26.     | प्रदेश के रा0 महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर विजिटिंग प्रवक्ताओं को संविदा पर आमंत्रित करने के सम्बन्ध में  | संख्या 755/ xxiv (7)/2006<br>दिनांक 22 अगस्त 2006                  | 318          |
| 27.     | प्रदेश के रा0 महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर आमंत्रित करने के सम्बन्ध में   | संख्या 755/ xxiv (7)/2006<br>दिनांक 10 नवम्बर 2006                 | 319          |
| 28.     | मा0 उच्च न्यायालय व अन्य न्यायालयों में संस्थित याचिकाओं की मॉनिटरिंग करने के सम्बन्ध में  | संख्या 816/ xxiv (7)/2006<br>दिनांक 14 नवम्बर 2006                 | 320          |
| 29.     | रा0 महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर जनपदवार संविदा पर शिक्षकों की व्यवस्था   | संख्या 148/xxiv(7)/2006-3(6) 2000<br>दिनांक 29 नवम्बर 2006         | 321-322      |
| 30.     | उच्च शिक्षा निदेशालय का ढांचा का पुर्नगठन  | संख्या 415/ XXIV (7)3(1)/2008<br>दिनांक 01 दिसम्बर 2008            | 323-325      |
| 31.     | सरकारी धन के विभिन्न बैंकों में जमा विषयक सूचना के प्रेषण के सम्बन्ध में   | संख्या : 99/xxvii (14)/200<br>दिनांक 3 सितम्बर 2009                | 326-328      |
| 32.     | वर्ष 2001 से कार्यरत 12 अनर्ह विजिटिंग प्रवक्ताओं हेतु सामान्य 45 प्रतिशत एवं अनुसूचितजाति के विजिटिंग प्रवक्ताओं के लिए 40 प्रतिशत अर्हता अंकों में शिथिलीकरण विषयक | संख्या 947/xxiv (7)/2(1)08/2009<br>दिनांक 29 सितम्बर 2009          | 329-330      |
| 33.     | उत्तराखण्ड राज्य के उच्च शिक्षा विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत संविदा, अंशकालिक एवं विजिटिंग प्रवक्ताओं का मानदेय एवं पदनाम एक समान किया जाना                   | संख्या 948/xxiv (7)/1(1)08/2009<br>दिनांक 30 सितम्बर 2009          | 331-332      |
| 34.     | समस्त प्रकार के शासकीय विज्ञापन सूचना विभाग के माध्यम से जारी किये जाने विषयक  | संख्या 373/सू0 एवं लो0सं0वि0(विज्ञापन)52/2004<br>दिनांक 31 मई 2010 | 333-334      |
| 35.     | समूह 'क' 'ख' 'ग' एवं 'घ' के कार्मिकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायती पत्रों का निस्तारण  | संख्या : 690/XXX(2)/2010<br>दिनांक 23 जून 2010                     | 335          |

| क्र.सं. | विषय  | शासनादेश संख्या एवं दिनांक                                    | पृष्ठ संख्या |
|---------|---|---|--------------|
| 36.     | घरित्र पंजिकाओं में वार्षिक प्रविष्टियां, सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रतिकूल प्रविष्टि संसूचित करना, उसके विरुद्ध प्रत्यावेदन और प्रत्यावेदन निस्तारण की प्रक्रिया   | संख्या : 1450/XXX(2)/2010<br>दिनांक 30 सितम्बर 2010           | 336-337      |
| 37.     | स्वैच्छिक परिचर कल्याण कार्यक्रम के अर्न्तगत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्या: 40/ xxvii (7) /स्व0प0क0 /2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 में संशोधन   | संख्या 736/xxvii (7)/स्वै0प0क0/2010<br>दिनांक 27 अक्टूबर 2010 | 338          |
| 38.     | अवकाश खाते में उपार्जित अवकाश जमा करने की अधिकतम सीमा में संशोधन  | संख्या : 737/ xxvii (7)/2010<br>दिनांक 27 अक्टूबर 2010        | 339          |
| 39.     | उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर अधीनस्थ कार्यालयों के राजकीय वाहन चालकों/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी एवं सिलाई की दरें राज्य सम्पत्ति विभाग के वाहन चालकों/चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के समान अनुमन्य किया जाना | संख्या 2740/vii-1-10 17-उद्योग/2004<br>दिनांक 12 जनवरी 2011   | 340-341      |
| 40.     | उत्तराखण्ड हैल्थ स्मार्ट कार्ड (नकद रहित) योजना को कियान्वित किये जाने हेतु स्मार्ट कार्ड प्रकोष्ठ एवं उसके ढांचे का गठन किये जाने के सम्बन्ध में   | संख्या 59/xxviii-4-2011-04/2008<br>दिनांक 24 जनवरी 2011       | 342-343      |
| 41.     | राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर वर्तमान शिक्षा सत्र 2011-12 हेतु प्रवक्ताओं को संविदान्तर्गत बुना: आमंत्रित किये जाने के संबंध में   | संख्या : 914/ xxiv (7)/31(1)/2010<br>दिनांक 21 जून 2011       | 344          |
| 42.     | राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में  | संख्या TC/68 XXIV/(6)/2011<br>दिनांक 14 नवम्बर 2011           | 345-357      |
| 43.     | उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड के माध्यम से संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के वेतनमान एवं भत्तों का पुनरीक्षण  | संख्या 596/xvii-3/2011-09(17)/2004<br>दिनांक 18 नवम्बर 2011   | 358-362      |
| 44.     | राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित नीति में संशोधन के सम्बन्ध में  | संख्या 68/XXIV (6)/2012<br>दिनांक 13 दिसम्बर 2011             | 363-364      |
| 45.     | राज्य निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु नीति निर्धारण हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 14 नवम्बर 2011 में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में  | संख्या 68/ XXIV (6)/2012<br>दिनांक 18 मई 2012                 | 365-366      |
| 46.     | राज्य में निजी विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित नीति के अनुरूप प्रपत्रों का निर्धारण  | संख्या 68/ XXIV (6)/2012<br>दिनांक 28 मई 2012                 | 367-378      |

## प्रस्तावना

मानव के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। यह निर्विवाद सत्य है कि ज्ञान, स्वास्थ्य, चिन्तन, आध्यात्म इत्यादि समस्त विधाओं के विकास का साधन शिक्षा ही है। इसलिए शिक्षा को किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास का सर्वोत्तम मापदण्ड माना गया है। नवम्बर 2000 में उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के पश्चात् प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणवत्तापरक व रोजगारपरक शिक्षा के विकास व विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। शासन का प्रयास है कि, बदलते हुए परिवेश के अनुरूप उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के गुणात्मक विकास पर बल दिया जाय तथा प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थियों को वांछित शिक्षण सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायँ। तदनुसार प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास हेतु गुणवत्ता, प्रासंगिकता, समता व कुशल प्रबन्ध के अर्न्तगत विभिन्न प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं। इन प्राथमिकताओं को कार्यरूप में परिणित करने के लिए उच्च शिक्षा व्यवस्था का संचालन शासकीय नीति व दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। विभागीय कार्यों के सफलतापूर्वक निष्पादन के लिए भी तद्विषयक नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों व शासनादेशों का सम्यक ज्ञान अति आवश्यक है। अतः शासकीय दिशा निर्देशों के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा से संबंधित नीतिगत शासनादेशों, वित्त व कार्मिक विभाग के महत्वपूर्ण निर्देशों के साथ-2 प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की महत्वपूर्ण सूचनाओं को संकलित कर सन्दर्शिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। डॉ० सतपाल सिंह साहनी, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून द्वारा स्वेच्छापूर्वक यह कार्य सम्पादित कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आशा है यह सन्दर्शिका विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों के अतिरिक्त, उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित विभागों व कार्यालयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

राकेश शर्मा  
प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा  
उत्तराखण्ड शासन

## उच्च शिक्षा का परिदृश्य

उच्च शिक्षा किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास का एक महत्वपूर्ण दर्पण है। मानवीय संसाधनों के सर्वांगीण विकास में उच्च शिक्षा की अहम भूमिका है। यद्यपि दुनिया के शीर्षस्थ 100 विश्वविद्यालयों की सूची में किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय का नाम नहीं है, तथापि भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था को अमेरिका व चीन के पश्चात् विश्व में तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था होने का गौरव प्राप्त है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् उच्च शिक्षा के विकास में अनेक कीर्तिमान स्थापित करने के बाद वर्तमान में उच्च शिक्षा एक बड़े बदलाव की ओर अग्रसर हो रही है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के संवैधानिक अधिकार, युवा वर्ग की बढ़ती हुई जनसंख्या, शिक्षा के विस्तार व व्यवसायीकरण तथा निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई रुचि ने उच्च शिक्षा के सम्मुख अभूतपूर्व अवसर व चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं। एक ओर, उच्च शिक्षा में प्रवेश की भारी माँग है, वहीं दूसरी ओर, शिक्षित बेरोजगारों की संख्या चिंतनीय दर से बढ़ रही है। इससे प्रमाणित होता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, राष्ट्र की रोजगार जरूरतों को पूर्ण करने में पूर्णतः सफल नहीं रही है। समकों की दृष्टि से राष्ट्रीय व प्रादेशिक स्तर पर उच्च शिक्षा का विहंगम परिदृश्य परिलक्षित होता है :-

### भारतवर्ष

|     |   |                  |
|-----|---|------------------|
| 1.  | कुल विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय महत्व के संस्थान      | 611              |
| 2.  | कुल महाविद्यालय व शिक्षण संस्थान                    | 31,324           |
| 3.  | यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय        | 13,478           |
| 4.  | नैक द्वारा प्रत्यानित विश्वविद्यालय व महाविद्यालय   | 1,490            |
| 5.  | कुल छात्र नामांकन                                   | 1,46,24,990      |
| 6.  | विश्वविद्यालयों में छात्र नामांकन                   | 19,18,833        |
| 7.  | महाविद्यालयों में छात्र नामांकन                     | 1,27,06,157      |
| 8.  | सकल नामांकन अनुपात                                  | 15%              |
| 9.  | महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के कुल स्वीकृत पद    | 5,98,723         |
| 10. | ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का परिव्यय | रु0 46,449 करोड़ |

### उत्तराखण्ड

|    |   |     |
|----|---|-----|
| 1. | कुल विश्वविद्यालय व राष्ट्रीय महत्व के संस्थान    | 24  |
| 2. | कुल महाविद्यालय व शिक्षण संस्थान                  | 378 |
| 3. | यू0जी0सी0 द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय      | 47  |
| 4. | नैक द्वारा प्रत्यानित विश्वविद्यालय व महाविद्यालय | 32  |

|     |  |               |
|-----|--|---------------|
| 5.  | कुल छात्र नामांकन  | 2,36,016      |
| 6.  | विश्वविद्यालयों परिसरों में छात्र नामांकन                          | 39,214        |
| 7.  | महाविद्यालयों व शिक्षण संस्थानों में छात्र नामांकन                 | 1,96,802      |
| 8.  | सकल नामांकन अनुपात   | 23.85%        |
| 9.  | राजकीय व अनुदानित महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के कुल स्वीकृत पद | 1885          |
| 10. | ग्यारवीं पंचवर्षीय योजना में उच्च शिक्षा का परिव्यय                | रु0 389 करोड़ |

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अविभाजित उत्तर प्रदेश में उत्तराखण्ड का गौरवशाली इतिहास रहा है। नवगठित उत्तराखण्ड राज्य में 21 विश्वविद्यालयों, 70 राजकीय महाविद्यालयों, 16 अनुदानित महाविद्यालयों, तथा 292 निजी शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के 2,36,016 विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों, अनुदानित महाविद्यालयों एवं निजी शिक्षण संस्थाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है।

**(अ) विश्वविद्यालय :**

विश्वविद्यालयों के अर्न्तगत हेमवती नन्दन बहुगुणा (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय का सम्बन्ध मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से है जबकि 10 राज्य विश्वविद्यालयों में कुमाऊँ, दून, मुक्त, विधि व प0 दीन दयाल उपाध्याय विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग से है। अन्य राज्य विश्वविद्यालयों में तकनीकी, संस्कृत, आयुर्वेद, विश्वविद्यालय क्रमशः तकनीकी शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग तथा आयुष विभाग से सम्बन्धित हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में ही गो0ब0प0कृ0प्रौ0 तथा उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालयों का सम्बन्ध कृषि विभाग से है। गुरुकुल कागँड़ी, एफ0आर0आई0, ग्राफिक एरा, व एच0आई0एच0टी0 सहित 4 विश्वविद्यालय, सम (डीम्ड) विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित है जिसमें से गुरुकुल कागँड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार का वित्तपोषण, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है। 6 निजी विश्वविद्यालयों के लिए पृथक-पृथक अधिनियम पारित किये गये हैं। प्रदेश में 15 नये निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुए हैं जिसमें से 4 विश्वविद्यालयों को एल0ओ0आई0 जारी किया जा चुका है। प्रदेश में स्थित सभी विश्वविद्यालयों के 24 परिसरों में 39,214 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तथा 1,35,697 निजी परीक्षार्थी स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने हेतु विश्वविद्यालयों में पंजीकृत हैं। स्वायत्तशासी संस्था होने के कारण विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध व संचालन कार्य-परिषदों के माध्यम से किया जाता है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय तथा राज्य विश्वविद्यालयों का वित्तपोषण क्रमशः भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। प्रदेश के 5 विश्वविद्यालय, यू0जी0सी0 अधिनियम की धारा 12(B) से आच्छादित होने के कारण यू0जी0सी0 से भी अनुदान प्राप्त कर रहे हैं।

(ब) राजकीय महाविद्यालय :

प्रदेश में स्थित 70 राजकीय महाविद्यालयों में 53,951 छात्राएँ (57.6%) तथा 39,672 छात्र (44.4%) उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं जिसमें से 83% स्नातक स्तर पर तथा 17% स्नातकोत्तर स्तर पर पंजीकृत हैं। संकायों के आधार पर कला, विज्ञान, वाणिज्य तथा अन्य संकायों में क्रमशः 70%, 14%, 15% तथा 1% विद्यार्थी पंजीकृत हैं। दुर्गम तथा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य गठन के पश्चात् 36 राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। प्रदेश के 33 राजकीय महाविद्यालय यू0जी0सी0 की धारा 2(f)/12(B) से आच्छादित हैं तथा 19 महाविद्यालयों द्वारा नैक से प्रत्यायन भी कराया गया है। प्रदेश के 56 (80%) राजकीय महाविद्यालय पर्वतीय अंचलों में स्थित है तथा गढ़वाल व कुमायूँ मण्डलों में स्थित राजकीय महाविद्यालयों की संख्या क्रमशः 39 व 31 हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय तथा राजकीय महाविद्यालयों में कार्मिकों के कुल सृजित पदों (2905) के विरुद्ध 1610 (55%) पद रिक्त हैं। 35 महाविद्यालयों के पास स्वयं के भवन हैं व 9 महाविद्यालयों के भवन निर्माण/हस्तान्तरण प्रक्रियाधीन हैं तथा शेष 26 महाविद्यालय, अन्य शासकीय/अशासकीय भवनों से संचालित किये जा रहे हैं। राजकीय महाविद्यालयों का प्रबन्ध संचालन शासन के दिशा-निर्देशों के अर्न्तगत उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जाता है।

(स) अनुदानित महाविद्यालय :

प्रदेश में 16 अनुदानित महाविद्यालय हैं जिनमें प्राध्यापकों व कर्मचारियों के क्रमशः 519 व 547 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 363 व 426 पदों पर कार्मिक कार्यरत हैं। कुमायूँ मण्डल के अल्मोड़ा व उधम सिंह नगर जनपदों में एक-एक तथा गढ़वाल मण्डल के हरिद्वार, देहरादून व टिहरी जनपदों में क्रमशः 7, 6, व 1 अनुदानित महाविद्यालय अवस्थित हैं। सभी अनुदानित महाविद्यालयों में 28667 छात्राएँ व 22220 छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं। अनुदानित महाविद्यालयों में 14 महाविद्यालय यू0जी0सी0 अधिनियम की धारा 2(f)/12(B) से आच्छादित हैं तथा 10 महाविद्यालयों ने नैक से प्रत्यायन भी करा लिया है। अनुदानित महाविद्यालयों का प्रबन्ध संचालन संबंधित महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाता है तथा इन महाविद्यालयों में प्राध्यापकों व कर्मचारियों के स्वीकृत पदों पर वेतन का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

(द) निजी महाविद्यालय व शिक्षण संस्थान :

प्रदेश में 292 निजी महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों में लगभग 52,000 विद्यार्थी उच्च, चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा इत्यादि से सम्बन्धित विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं। इन निजी महाविद्यालयों एवं शिक्षण

संस्थानों में पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति संबधित विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाती है लेकिन इनका प्रबन्ध संचालन व वित्तपोषण इत्यादि निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्दिरा गॉंधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के 72 केन्द्रों तथा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के 350 केन्द्रों में क्रमशः लगभग 40,000 तथा 14,607 विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षण पद्धति के अर्न्तगत उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। प्राविधिक शिक्षा के अर्न्तगत संचालित 60 पॉलिटेक्निक संस्थाओं में भी लगभग 11,500 विद्यार्थी व्यवसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना के पश्चात् 11 वर्ष की अल्पावधि में संख्यात्मक दृष्टि से प्रदेश में उच्च शिक्षा का द्रुतगति से विकास हुआ है। इस अवधि में प्रदेश में 16 विश्वविद्यालयों, 36 राजकीय महाविद्यालयों तथा अनेक निजी शिक्षण संस्थानों की स्थापना हुई है। गुणवत्ता संवर्द्धन हेतु प्रदेश में 29 महाविद्यालयों का नैक से प्रत्यायन कराया गया है तथा 47 महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों की सूची में सम्मिलित किया गया है। उच्च शिक्षा की पहुँच के विस्तार के लिए दुर्गम व असेवित क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा स्नातक स्तर पर निःशुल्क शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। उच्च शिक्षा की प्रांसगिकता के क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालयों के साथ-2 अनेक निजी शिक्षण संस्थानों में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान की गई है। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सुस्पष्ट नीति प्राख्यापित की गई है तथा प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए यू0जी0सी0 की 'नेट' परीक्षा के समतुल्य प्रादेशिक स्तर पर 'स्लेट' परीक्षा के आयोजन हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। महाविद्यालयों में पहली बार वर्ष 2011 से स्नातकोत्तर स्तर पर सेमेस्टर पद्धति से शिक्षण प्रारम्भ किया गया है।

देश व प्रदेश में त्वरित विकास के बावजूद नीति निर्माताओं द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् जिस व्यक्तित्व के युवा की कल्पना की गई थी, वह अभी तक साकार नहीं हुई है। नब्बे के दशक से शुरु हुए वैश्विक परिवर्तनों के पश्चात् कतिपय उत्कृष्ट उपलब्धियों के बावजूद प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख रूप से निम्नलिखित चुनौतियाँ विद्यमान हैं :-

1. प्रबन्ध-संचालन में आधुनिक प्रौद्योगिकी का न्यून उपयोग।
2. कार्य निष्पादन के मूल्यांकन में पारदर्शी प्रणाली का अभाव।
3. उत्तरदायित्व निर्धारण में वस्तुपरक मापदण्डों का अभाव।
4. दीर्घ काल से विभिन्न विषयों का अपरिवर्तित पाठ्यक्रम।
5. विद्यार्थियों में रोजगार के लिए अपेक्षित योग्यता व कौशल का अभाव।
6. अन्य विभागों व एजेन्सियों से समन्वय व सम्पर्क का अभाव।
7. उच्च शिक्षा के अधिकारिक संमकों व सूचनाओं का अभाव।
8. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के नियमित निरीक्षण का अभाव।
9. क्रीड़ा तथा पाठ्येत्तर क्रियाकलापों में विद्यार्थियों की अरुचि तथा
10. उच्च शिक्षा के विकास के लिए सीमित वित्तीय संसाधन।

उपर्युक्त के अतिरिक्त राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों व कर्मचारियों के रिक्त पदों व वांछित संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव तथा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार महाविद्यालयों में पठन-पाठन व छात्र उपस्थिति सुनिश्चित न होने के फलस्वरूप उच्च शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इन चुनौतियों व समस्याओं का सामना करने के लिए प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास हेतु गुणवत्ता, समानता, प्रासंगिकता व प्रबन्धन के क्षेत्रों में निम्नलिखित प्राथमिकताएँ निर्धारित की गई हैं :-

1. महाविद्यालयों में संरचनात्मक सुविधाओं व स्टाफ की व्यवस्था।
2. महाविद्यालयों में आन्तरिक गुणवत्ता सुनिश्चयन प्रकोष्ठों की स्थापना।
3. वित्तीय संसाधनों का सृजन तथा उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग।
4. कार्य मूल्यांकन हेतु पारदर्शी प्रणाली का उपयोग।
5. व्यवसायिक व रोजगारपरक पाठयक्रमों को प्रोत्साहन।
6. उच्च शिक्षा विभाग के विकास में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन।
7. निर्धन व वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क अनुशिक्षण।
8. नीति निर्धारण तथा अन्य विभागों से समन्वय इत्यादि के लिए उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना।
9. प्रबन्ध संचालन में आधुनिक प्रौद्योगिकी के अर्न्तगत ई-गवर्नेन्स का उपयोग तथा
10. दूरस्थ शिक्षण पद्धति को प्रोत्साहन।

मानव संसाधन विकास में उच्च शिक्षा के महत्व को अंगीकार करते हुए भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारें उच्च शिक्षा के विकास के लिए निरन्तर प्रयासरत हैं। सम्प्रति, उच्च शिक्षा में बुनियादी परिवर्तनों के लिए नौ विधेयक संसद में विचाराधीन है। अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2020 तक 30% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा नये विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण उच्च शिक्षा के विकास में केन्द्र तथा राज्य स्तर पर सार्थक व ठोस पहल करने की नितांत आवश्यकता है। उच्च शिक्षा का उद्देश्य न केवल विषय का आधुनिकतम उच्च स्तरीय ज्ञान अर्जित करना है, वरन् विद्यार्थियों का व्यक्तित्व विकास व चरित्र निर्माण कर सुसंस्कृत व अनुशासित युवा पीढ़ी के सृजन में भी उच्च शिक्षण संस्थाओं की अहम् भूमिका है। बारवहीं पंचवर्षीय योजना में प्रदेश के कुल परिव्यय रु0 54,276 करोड़ में से रु0 924 करोड़ (1.7%) उच्च शिक्षा के लिए आबंटित किया जाना प्रस्तावित है। निःसन्देह उच्च शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से भौतिक संसाधनों का सृजन नहीं करती हैं लेकिन विकास के लिए वांछित भौतिक संसाधनों का सृजन केवल कुशल, प्रशिक्षित व योग्य मानव सम्पदा द्वारा ही किया जा सकता है। अतः शिक्षा के पाँच मूलभूत आधार स्तम्भों—शिक्षार्थी, शिक्षक, शिक्षण संस्था, सरकार व समाज में संतुलित सामंजस्य स्थापित कर शिक्षण संस्थाओं में स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण का सृजन करके ही उच्च शिक्षा का विकास किया जा सकता है।

**उत्तराखण्ड में विश्वविद्यालयों की प्रास्थिति (मार्च ,2012)**

| क्रमांक | विश्वविद्यालय  | स्थापना का वर्ष                               | विश्वविद्यालय परिसरों की संख्या | सम्बद्ध /संघटक महावि. शिक्षण संस्थानों तथा अध्ययन केन्द्रों की संख्या | संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या (लगभग) | अध्ययनरत /पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या |  |         |
|---------|--|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|--|---------|
|         |  |   |                                 |   |                                      | विश्वविद्यालय परिसर                       | सम्बद्ध/संघटक महावि. शिक्षण संस्थान तथा अध्ययन केन्द्र | कुल योग |
| (अ)     | <b>केन्द्रीय विश्वविद्यालय</b>                           |   |                                 |   |                                      |   |  |         |
| (1)     | हे0न0ब0ग0 (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर             | 1973 वर्ष<br>2009 से<br>केन्द्रीय<br>विश्ववि. | 3                               | 197   | —                                    | 9300                                      | 100170   | 109470  |
| (क)     | <b>राज्य विश्वविद्यालय</b>                               |   |                                 |   |                                      |   |  |         |
| (2)     | कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल                            | 1973  | 3                               | 67  | 47                                   | 8088                                      | 64971  | 73059   |
| (3)     | उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल)      | 2005  | —                               | 350   | 128                                  | —   | 14607  | 14607   |
| (4)     | दून विश्वविद्यालय, देहरादून                              | 2005  | 1                               | 0   | 11                                   | 350                                       | —  | 350     |
| (5)     | उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार               | 2005  | 1                               | 48  | 18                                   | —   | 3985   | 3985    |
| (6)     | उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून                | 2005  | 1                               | 64  | 24                                   | 62  | 8654   | 8716    |
| (7)     | गोडब0प0क0प्र0 विश्वविद्यालय, पतनगर (उधम सिंह नगर)        | 1960  | 1                               | 3   | 133                                  | —   | 4142   | 4142    |
| (8)     | पं0 दीन दयाल उपाध्याय उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी    | 2011  | —                               | —   | —                                    | —   | —  | —       |
| (9)     | उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भवाली (नैनीताल) | 2011  | —                               | —   | —                                    | —   | —  | —       |
| (10)    | उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, भरसार     | 2011  | 1                               | —   | 1                                    | 88  | —  | —       |
| (11)    | उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरिद्वार              | 2009  | —                               | —   | —                                    | —   | —  | —       |

| क्रमांक | विश्वविद्यालय   | स्थापना का वर्ष | विश्वविद्यालय परिसरों की संख्या | सम्बद्ध/ संघटक महाविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों तथा अध्ययन केन्द्रों की संख्या | संचालित पाठ्यक्रमों की संख्या (लगभग) | अध्ययनरत / पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या |   |          |
|---------|---|-----------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------|
|         |   |                 |                                 |   |                                      | विश्वविद्यालय परिसर                        | सम्बद्ध/संघटक महा०, शिक्षण संस्थान तथा अध्ययन केन्द्र | कुल योग  |
| (स)     | <b>सम विश्वविद्यालय</b>                               |                 |                                 |   |                                      |  |   |          |
| (12)    | गुरुकुल कॉगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार                | 1902            | 3                               | —   | 19                                   | 3948                                       | —   | 3948     |
| (13)    | वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून                         | 1991            | 1                               | —   | 4                                    | 252  | —   | 252      |
| (14)    | एच०आई०एच०टी० विश्वविद्यालय, डोईवाला (देहरादून)        | 2007            | 1                               | —   | 34                                   | 260  | —   | 260      |
| (15)    | ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून                   | 2008            | 1                               | —   | 11                                   | 8044                                       | —   | 8044     |
| (द)     | <b>निजी विश्वविद्यालय</b>                             |                 |                                 |   |                                      |  |   |          |
| (16)    | देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार                  | 2002            | 1                               | —   | 20                                   | 731  | —   | 731      |
| (17)    | यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एर्जी स्टडीज, देहरादून | 2003            | 1                               | —   | 53                                   | 4707                                       | —   | 4707     |
| (18)    | हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, देहरादून                    | 2005            | 1                               | 5   | 14                                   | 406  | 37  | 443      |
| (19)    | ईक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून                        | 2003            | 1                               | —   | 5                                    | 1776                                       | —   | 1776     |
| (20)    | पंतजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार                        | 2007            | 1                               | —   | 6                                    | 201  | —   | 201      |
| (21)    | ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, देहरादून           | 2011            | 2                               | —   | 6                                    | 1001                                       | —   | 1001     |
|         | कुल योग   |                 | 24                              | 739   | 612                                  | 39214                                      | 1,96,566  | 2,35,780 |

- नोट : (1) गो०ब०प०कृ०प्रौ० विश्वविद्यालय पंतनगर के आठ संघटक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के एक ही परिसर में स्थित हैं।
- (2) हे०न०ब०ग० (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, कुमाऊँ विश्वविद्यालय तथा उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय में उपर्युक्त छात्र संख्या के अतिरिक्त क्रमशः 60,530, 74,961 तथा 206 निजी परीक्षार्थी स्नातक/स्नातकोत्तर उपधि प्राप्त करने हेतु पंजीकृत हैं।
- (3) उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी (नैनीताल) की छात्र संख्या (14607) प्रदेश के 350 अध्ययन केन्द्रों में दूरस्थ शिक्षण प्रणाली के अर्न्तगत पंजीकृत है।
- (4) उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रदेश में इग्नू के 72 केन्द्रों में उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 40,000 तथा प्राविधिक शिक्षा के अर्न्तगत संचालित 60 पालिटेक्निक संस्थाओं में लगभग 11,500 विद्यार्थी विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में पंजीकृत हैं।
- (5) हे०न०ब०ग० (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लगभग 10 शिक्षण संस्थान तथा कुमाऊँ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध लगभग 4 शिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय से भी सम्बद्ध हैं। राजकीय महाविद्यालय रिखणीखाल, मजरा महादेव व थत्यूड़ को सम्बद्धता प्राप्त नहीं हुई है जिनकी कुल छात्र संख्या 236 है।

**राजकीय महाविद्यालयों की प्रास्थिति**

| क्रम संख्या | महाविद्यालय का नाम                    | स्थापना वर्ष      | भूमि तथा भवन की स्थिति |                         | यू0जी0सी0 की मान्यता | छात्र संख्या (2011-12) (अंतिम) | प्राध्यापकों के पदों की संख्या |          | नैक से प्रत्यायन की वैधता का अन्तिम वर्ष |
|-------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--|
|             |                                       |                   | भूमि                   | भवन                     |                      |                                | स्वीकृत पद                     | रिक्त पद |  |
| 1           | एम0 बी0 राजकीय महाविद्यालय, हल्द्वानी | 1960 प्रा<br>1982 | है                     | है                      | मान्यता              | 12826                          | 84                             | 18       | 2009                                     |
| 2           | रा0 महिला महावि0, हल्द्वानी           | 1996              | है                     | है                      | मान्यता              | 953                            | 15                             | 3        | 2016                                     |
| 3           | रा0 स्नात0 महाविद्यालय, रामनगर        | 1975              | है                     | है                      | मान्यता              | 4615                           | 42                             | 5        | 2008                                     |
| 4           | रा0 महावि0 दोषापानी, चौखुटा           | 2005              | है                     | नहीं                    | नहीं                 | 169                            | 7                              | 0        | नहीं                                     |
| 5           | रा0 महावि0 कोटाबाग                    | 2006              | नहीं                   | नहीं                    | नहीं                 | 137                            | 5                              | 1        | नहीं                                     |
| 6           | रा0 स्नात0 महाविद्यालय, बागेश्वर      | 1974              | है                     | है                      | मान्यता              | 2760                           | 34                             | 8        | 2011                                     |
| 7           | रा0 महावि0, कपकोट                     | 2005              | नहीं                   | नहीं                    | नहीं                 | 195                            | 8                              | 2        | नहीं                                     |
| 8           | रा0 महावि0, काण्डा                    | 2006              | है                     | नहीं                    | नहीं                 | 63                             | 8                              | 5        | नहीं                                     |
| 9           | रा0 महावि0, गरुड़                     | 2009              | नहीं                   | नहीं                    | नहीं                 | 108                            | 6                              | 4        | नहीं                                     |
| 10          | रा0 स्ना0 महावि0, रानीखेत             | 1973              | है                     | है                      | मान्यता              | 2136                           | 42                             | 4        | 2009                                     |
| 11          | रा0 स्ना0 महावि0, द्वाराहाट           | 1983              | है                     | है                      | मान्यता              | 735                            | 14                             | -2       | 2014                                     |
| 12          | रा0 महावि0, मानिला                    | 1989              | है                     | है                      | मान्यता              | 626                            | 15                             | 2        | 2016                                     |
| 13          | रा0 महावि0, जैती                      | 1996              | है                     | पूर्ण पर<br>हस्तगत नहीं | मान्यता              | 211                            | 6                              | 2        | नहीं                                     |
| 14          | रा0 महावि0, चौखुटिया                  | 2001              | है                     | नहीं                    | नहीं                 | 569                            | 7                              | 1        | नहीं                                     |
| 15          | रा0 महावि0, गुरुडाबांज                | 2006              | है                     | नहीं                    | नहीं                 | 60                             | 2                              | 0        | नहीं                                     |
| 16          | रा0 महावि0, सोमेश्वर                  | 2006              | है                     | नहीं                    | नहीं                 | 237                            | 12                             | 6        | नहीं                                     |
| 17          | रा0 महावि0, भिक्व्यासैण               | 2006              | है                     | नहीं                    | नहीं                 | 256                            | 9                              | 4        | नहीं                                     |

(6)

| क्रम संख्या | महाविद्यालय का नाम            | स्थापना वर्ष | भूमि तथा भवन की स्थिति |             | यू0जी0सी0 की मान्यता | छात्र संख्या (2010-11) (अंतिम) | प्राध्यापकों के पदों की संख्या |          | नैक से प्रत्यायन की वैधता का अन्तिम वर्ष |
|-------------|-------------------------------|--------------|------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--|
|             |                               |              | भूमि                   | भवन         |                      |                                | स्वीकृत पद                     | रिक्त पद |  |
| 18          | रा0 महावि0, स्याल्दे          | 1979         | है                     | है          | मान्यता              | 637                            | 15                             | 4        | 2014                                     |
| 19          | रा0 स्नात0 महावि0, पिथौरागढ़  | 1963         | है                     | है          | मान्यता              | 6825                           | 94                             | 14       | 2009                                     |
| 20          | रा0 महावि0, बेरीनाग           | 1975         | है                     | है          | मान्यता              | 1543                           | 30                             | 7        | 2009                                     |
| 21          | रा0 महावि0, नारायणनगर         | 1963         | है                     | है          | मान्यता              | 636                            | 13                             | 1        | नहीं                                     |
| 22          | रा0 महावि0, बलूवाकोट, धारचूला | 1997         | है                     | नहीं        | नहीं                 | 462                            | 9                              | 3        | नहीं                                     |
| 23          | रा0 महावि0, मुन्स्यारी        | 2001         | नहीं                   | नहीं        | नहीं                 | 359                            | 7                              | 1        | नहीं                                     |
| 24          | रा0 महावि0, गंगोलीहाट         | 2001         | नहीं                   | नहीं        | नहीं                 | 539                            | 7                              | 0        | नहीं                                     |
| 25          | रा0 महावि0, चम्पावत           | 1997         | है                     | है          | मान्यता              | 552                            | 14                             | 3        | नहीं                                     |
| 26          | रा0 स्नात0 महावि0, लोहाघाट    | 1979         | है                     | है          | मान्यता              | 1545                           | 23                             | 2        | 2009                                     |
| 27          | रा0 महावि0, टनकपुर            | 2004         | है                     | नहीं        | नहीं                 | 697                            | 6                              | 2        | नहीं                                     |
| 28          | रा0 स्नात0 महावि0, खटीमा      | 1988         | है                     | है          | मान्यता              | 6548                           | 25                             | 3        | 2009                                     |
| 29          | रा0 स्नात0 महावि0, रुद्रपुर   | 1974         | है                     | है          | मान्यता              | 6915                           | 37                             | 8        | 2008                                     |
| 30          | रा0 स्नात0 महावि0, काशीपुर    | 1979         | है                     | है          | मान्यता              | 7365                           | 56                             | 11       | 2009                                     |
| 31          | रा0 महावि0, बाजपुर            | 1996         | है                     | है          | नहीं                 | 838                            | 14                             | 8        | नहीं                                     |
| 32          | रा0 स्नात0 महावि0, कोटद्वार   | 1971         | है                     | है          | मान्यता              | 5546                           | 82                             | 14       | 2009                                     |
| 33          | रा0 महावि0, बेदीखाल           | 1979         | है                     | है          | मान्यता              | 170                            | 7                              | 1        | नहीं                                     |
| 34          | रा0 महावि0, जयहरीखाल          | 1972         | है                     | है          | मान्यता              | 532                            | 25                             | 6        | 2009                                     |
| 35          | रा0 महावि0, चौबट्टाखाल        | 1979         | है                     | है          | मान्यता              | 181                            | 11                             | -1       | नहीं                                     |
| 36          | रा0 महावि0, थलीसैण            | 2001         | है                     | निर्माणाधीन | नहीं                 | 179                            | 7                              | 0        | नहीं                                     |
| 37          | रा0 महावि0, नैनीडांडा         | 2006         | है                     | हस्तगत नहीं | नहीं                 | 136                            | 14                             | 5        | नहीं                                     |
| 38          | रा0 महावि0, सतपुली            | 2006         | नहीं                   | नहीं        | नहीं                 | 280                            | 12                             | 5        | नहीं                                     |

| क्रम संख्या | महाविद्यालय का नाम              | स्थापना वर्ष       | भूमि तथा भवन की स्थिति |                           | यू0जी0सी0 की मान्यता | छात्र संख्या (2010-11) (अंतिम) | प्राध्यापकों के पदों की संख्या |          | नैक से प्रत्यायन की वैधता का अन्तिम वर्ष |
|-------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--|
|             |                                 |                    | भूमि                   | भवन                       |                      |                                | स्वीकृत पद                     | रिक्त पद |  |
| 39          | रा0 महावि0, रिखणीखाल            | 2009               | है                     | नहीं                      | नहीं                 | 133                            | 12                             | 7        | नहीं                                     |
| 40          | रा0 महावि0, मजरा महादेव         | 2010               | नहीं                   | नहीं                      | नहीं                 | 50                             | 6                              | 6        | नहीं                                     |
| 41          | रा0 स्नातक0 महावि0 गोपेश्वर     | 1966               | है                     | है                        | मान्यता              | 2888                           | 69                             | 9        | 2012                                     |
| 42          | रा0 महावि0, जोशीमठ              | 1996               | है                     | निर्माणाधीन               | नहीं                 | 200                            | 16                             | 10       | नहीं                                     |
| 43          | रा0 महावि0, तलवाडी              | 1997               | है                     | निर्माणाधीन               | मान्यता              | 363                            | 11                             | 1        | नहीं                                     |
| 44          | रा0 महावि0, गैरसैण              | 2001               | है                     | निर्माणाधीन               | मान्यता              | 247                            | 7                              | 1        | नहीं                                     |
| 45          | रा0 महावि0, नागनाथ पोखरी        | 2001               | है                     | निर्माणाधीन               | नहीं                 | 163                            | 7                              | 0        | नहीं                                     |
| 46          | रा0 विधि0 महावि0, गोपेश्वर      | 2003               | है                     | पूर्ण परन्तु हस्तागत नहीं | नहीं                 | 8                              | 8                              | 5        | नहीं                                     |
| 47          | रा0 महावि0 कर्णप्रयाग           | 1979               | है                     | है                        | मान्यता              | 1311                           | 14                             | 0        | नहीं                                     |
| 48          | रा0 स्नातक0 महावि0, अगस्त्यमुनि | 1974               | है                     | है                        | मान्यता              | 3171                           | 39                             | 8        | नहीं                                     |
| 49          | रा0 महावि0, जखोली               | 2001               | है                     | निर्माणाधीन               | नहीं                 | 207                            | 7                              | 0        | नहीं                                     |
| 50          | रा0 महावि0 रुद्रप्रयाग          | 2006               | नहीं                   | नहीं                      | नहीं                 | 51                             | 15                             | 13       | नहीं                                     |
| 51          | रा0 महावि0 गुप्तकाशी            | 2009               | नहीं                   | नहीं                      | नहीं                 | 12                             | 2                              | 1        | नहीं                                     |
| 52          | रा0 स्नातक0 महावि0, उत्तरकाशी   | 1969               | है                     | है                        | मान्यता              | 3328                           | 55                             | 11       | 2015                                     |
| 53          | रा0 महावि0, बड़कोट              | 1993               | है                     | नहीं                      | नहीं                 | 769                            | 5                              | 0        | नहीं                                     |
| 54          | रा0 महावि0, पुरौला              | 1993               | है                     | है                        | नहीं                 | 218                            | 12                             | 8        | नहीं                                     |
| 55          | रा0 महावि0, चिन्चालीसाँड़       | 2001               | नहीं                   | नहीं                      | नहीं                 | 446                            | 7                              | 0        | नहीं                                     |
| 56          | रा0 महावि0, नई टिहरी            | 1979               | है                     | है                        | मान्यता              | 1145                           | 50                             | 9        | नहीं                                     |
| 57          | रा0 महावि0, देवप्रयाग           | 1984 प्रा0<br>2002 | है                     | है                        | मान्यता              | 161                            | 6                              | 0        | नहीं                                     |
| 58          | रा0 महावि0, अगरोड़ा             | 2001               | है                     | है                        | नहीं                 | 215                            | 12                             | 7        | नहीं                                     |
| 59          | रा0 महावि0, चन्द्रबदनी          | 2001               | है                     | है                        | नहीं                 | 255                            | 7                              | 0        | नहीं                                     |

| क्रम संख्या | महाविद्यालय का नाम          | स्थापना वर्ष | भूमि तथा भवन की स्थिति |      | यू०जी०सी० की मान्यता | छात्र संख्या (2010-11) (अंतिम) | प्राध्यापकों के पदों की संख्या |          | नैक से प्रत्यायन की वैधता का अन्तिम वर्ष |
|-------------|-----------------------------|--------------|------------------------|------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------|--|
|             |                             |              | भूमि                   | भवन  |                      |                                | स्वीकृत पद                     | रिक्त पद |  |
| 60          | रा० महावि०, नैनबाग          | 2001         | है                     | नहीं | नहीं                 | 199                            | 7                              | 0        | नहीं                                     |
| 61          | रा० महावि०, लम्बगाँव        | 2001         | है                     | है   | नहीं                 | 173                            | 7                              | 0        | नहीं                                     |
| 62          | रा० महावि०, पौखाल           | 2002         | है                     | है   | नहीं                 | 103                            | 7                              | 0        | नहीं                                     |
| 63          | रा० महावि०, नरेन्द्रनगर     | 2006         | नहीं                   | नहीं | नहीं                 | 133                            | 6                              | 5        | नहीं                                     |
| 64          | रा० महावि०, थत्युड          | 2009         | नहीं                   | नहीं | नहीं                 | 53                             | 7                              | 3        | नहीं                                     |
| 65          | रा० स्नात० महावि०, डाकपत्थर | 1993         | है                     | है   | मान्यता              | 2299                           | 16                             | 2        | नहीं                                     |
| 66          | रा० महावि०, ऋषिकेश          | 1972         | है                     | है   | मान्यता              | 3765                           | 70                             | 14       | 2009                                     |
| 67          | रा० महावि०, डोईवाला         | 2001         | है                     | है   | मान्यता              | 1369                           | 23                             | 7        | नहीं                                     |
| 68          | रा० महावि०, चकराता          | 2004         | है                     | नहीं | नहीं                 | 76                             | 12                             | 5        | नहीं                                     |
| 69          | रा० महावि०, त्यूनी          | 2006         | है                     | नहीं | नहीं                 | 175                            | 13                             | 8        | नहीं                                     |
| 70          | रा० महावि०, लक्सर           | 2001         | है                     | नहीं | मान्यता              | 795                            | 7                              | 0        | नहीं                                     |
|             | योग                         |              |                        |      |                      | 93623                          | 1366                           | 300      |  |

नोट : उपर्युक्त तालिका में राजकीय महाविद्यालयों में प्राध्यापकों के स्वीकृत पदों (1366) के विरुद्ध नियमित (520), तथा सविदा प्रवक्ताओं (655) के रूप में कार्यरत प्राध्यापकों की संख्या (1075) को घटाकर रिक्त पदों (291) की गणना की गई है। 8 प्राध्यापक प्रतिनियुक्ति के अर्न्तगत अन्यत्र कार्यरत है तथा एक प्राध्यापक शिविर कार्यालय देहरादून में सम्बद्ध है। रिक्त पदों के विरुद्ध 272 पदों के लिए अध्यायन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया। अध्यायन प्रेषित करने के पश्चात् भी 19 प्राध्यापकों के पद रिक्त हैं।

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन

| क्रम संख्या | नाम              | पदनाम            | मोबाइल न0  | दूरभाष                           | ई-मेल / वेबसाइट               |
|-------------|------------------|------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1           | श्री राकेश शर्मा | प्रमुख सचिव      | -          | 0135 : 2712090<br>0135 : 2712098 | -                             |
| 2           | डॉ0 निधि पाण्डे  | अपर सचिव         | -          | 0135 : 2655264                   | nidhipandey 2001 @gmail.com   |
| 3           | श्री वेदीराम     | अनुसचिव          | 9997117985 | -                                | santoshsingh701@gmail.com     |
| 4           | श्री दीपक कुमार  | अनुभाग अधिकारी-7 | 9917150726 | -                                | deepak 907 @gmail.com         |
| 5           | श्री सुभाष कुमार | अनुभाग अधिकारी-6 | 9410705231 | -                                | subhashchandra12342@yahoo.com |

उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी (नैनीताल)

( 12 )

| क्रम संख्या | नाम                        | पदनाम          | मोबाइल न0  | दूरभाष                           | ई-मेल / वेबसाइट   |
|-------------|----------------------------|----------------|------------|----------------------------------|---|
| 1           | -                          | निदेशक         | -          | 05946 : 225785<br>05946 : 281674 | ई-मेल highereducationdirector<br>@gmail.com<br>वेबसाइट- www.directorateheuk.org |
| 2           | श्रीमती मुकुल पंत          | संयुक्त निदेशक | 911163318  | 05946 : 225785                   | -   |
| 3           | डॉ0 एल0बी0 अग्निहोत्री     | उपनिदेशक       | 9411787518 | 05946 : 225785                   | -   |
| 4           | डॉ0 के0एल0 बिष्ट           | उपनिदेशक       | 9997007764 | 05946 : 225785                   | -   |
| 5           | डॉ0 मृत्युंजय कुमार मिश्रा | सहायक निदेशक   | 9412052888 | 05946 : 225785                   | adheuk@gmail.com  |

उच्च शिक्षा, शिविर कार्यालय, देहरादून

| क्रम संख्या | नाम                  | पदनाम        | मोबाइल न0  | दूरभाष         | ई-मेल / वेबसाइट         |
|-------------|----------------------|--------------|------------|----------------|-------------------------|
| 1           | डॉ0 जी0एस0 रजवार     | उपनिदेशक     | 9412324599 | 0135 : 2668902 | dheddn@gmail.com        |
| 2           | डॉ0 सतपाल सिंह साहनी | सहायक निदेशक | 9837061260 | 0135 : 2668902 | sahnisatpal@gmail.com   |
| 3           | डॉ0 वी0एन0 शर्मा     | सहायक निदेशक | 9412409074 | 0135 : 2668902 | sharma vn 21 @gmail.com |

**प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति, दूरभाष व वेबसाइट**

| क्रम सं० | विश्वविद्यालय का नाम   | कुलपति का नाम                | दूरभाष (विश्वविद्यालय)       | मोबाइल नं० (कुलपति) | ई-मेल/वेबसाइट (विश्वविद्यालय)                                    |
|----------|--|------------------------------|------------------------------|---------------------|--|
| (i)      | <b>केन्द्रीय विश्वविद्यालय</b>                                 |                              |                              |                     |  |
| 1        | हे०न०ब० गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय, श्रीनगर              | प्रो० एस०के० सिंह            | 01346-252167                 | 9412991540          | Website: www.hnbg.ac.in<br>Email: oincharge rti@yahoo.com        |
| (ii)     | <b>राज्य विश्वविद्यालय</b>                                     |                              |                              |                     |  |
| 2        | कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल                                  | प्रो० वी०पी०एस० अरोड़ा       | 05942-235068                 | 9412085888          | Website: www.kuntl.in  |
| 3        | उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी (नैनीताल)             | प्रो० विनय कुमार पाठक        | 05946-263016<br>05946-261122 | 9412085004          | Website: uou.ac.in<br>Email: info@uou.ac.in                      |
| 4        | दून विश्वविद्यालय, देहरादून                                    | प्रो० वी०के०जैन              | 0135-2533105                 | 875524411           | Website: doonuniversity.ac.in<br>Email: doonuniversity@gmail.com |
| 5        | उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार                     | डा० सुधा रानी पांडे          | 01334-250896                 | 9411111855          | Website: www.usvv.org<br>Email: drsudhavic@gmail.com             |
| 6        | उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून                      | प्रो० डी०एस० चौहान           | 0135-2770128                 | 955788181           | Website: www.uktech.ac.in<br>Email: utu@gmail.com                |
| 7        | गो०ब०प०कृ०प्रो० विश्वविद्यालय, पंतनगर (उधम सिंह नगर)           | प्रो० बी०एस० बिष्ट           | 05944-233333                 | 7500241400          | Website: www.gbpuat.ac.in<br>Email: vcgbpuat@gmail.co.in         |
| 8        | पं० दीन दयाल उपाध्याय, उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, टिहरी         |                              |                              |                     |  |
| 9        | उत्तराखण्ड राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, भवाली (नैनीताल)       |                              |                              |                     |  |
| 10       | उत्तराखण्ड औद्योगिकी एवं वास्तुकी विश्वविद्यालय, भरसार (पौड़ी) | प्रो० मैथ्यू प्रसाद          | 01348-226058                 | 9410393521          | Website: www.uuhf.ac.in<br>Email: vc27uuhfu@gmail.com            |
| 11       | उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, हरिद्वार                    | प्रो० सत्येद्र प्रसाद मिश्रा | -                            | 9450521883          |  |

| क्रम सं० | विश्वविद्यालय का नाम                                    | कुलपति का नाम         | दूरभाष (विश्वविद्यालय) | मोबाइल न० (कुलपति) | ई-मेल/वेबसाइट (विश्वविद्यालय)   |
|----------|---|-----------------------|------------------------|--------------------|---|
| (iii)    | <b>डीम्ड विश्वविद्यालय</b>                              |                       |                        |                    |   |
| 12       | गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार                 | प्रो० स्वतन्त्र कुमार | 01334-249012           | 9719004451         | Website: www.gkvharidwar.org<br>Email: registrargkv@yahoo.co.in                   |
| 13       | एफ०आर०आई०, देहरादून                                     | प्रो० पी०पी० भोजवैद   | 0135-2751826           | N.A                | Website: icfre.FRI.gov.in<br>Email: tripathi ak@icfre.org                         |
| 14       | एच०आई०एच०टी० विश्वविद्यालय, डोईवाला (देहरादून)          | डा० विजय धस्माना      | 0135-2471152           | N.A                | Website: reg@hihtuniversity.edu.in  |
| 15       | ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय, देहरादून                     | डा० एम०आर०त्यागी      | 0135-2642727           | N.A                | Website: www.geu.ac.in<br>Email: registrar@geu.ac.in                              |
| (iv)     | <b>निजी विश्वविद्यालय</b>                               |                       |                        |                    |   |
| 16       | देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार                    | प्रो० सुखदेव शर्मा    | 01334-260723           | N.A                | Website: www.dsvv.ac.in<br>Email: vc@dsvv.ac.in                                   |
| 17       | यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एण्ड एर्न्जी स्टडीज, देहरादून | डा० पराग दिवान        | 0135-2776201           | N.A                | Website: www.upes.ac.in<br>Email: vc@upes.ac.in                                   |
| 18       | हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, देहरादून                      | डा० विनोद सी अग्रवाल  | 0135-2110005           | N.A                | Website: www.himgirizeeuniversity.edu.in<br>Email: himgirizeeuniversity@gmail.com |
| 19       | ईक्फाई विश्वविद्यालय, देहरादून                          | डा० एस०सी० देवरानी    | 0135-3003018           | N.A                | website- www.iudehradun.edu.in<br>Email:vc@iudehradun.edu.in                      |
| 20       | पतंजलि विश्वविद्यालय, हरिद्वार                          | आचार्य बाल कृष्ण      | 01334-242526           | 9897405550         | Website:www.patanjaliuniversity.com<br>Email: uopyp2009@gmail.com                 |
| 21       | ग्राफिक एरा पर्वतीय विश्वविद्यालय, (देहरादून)           | डा० सजय जसोला         | 0135-2645996           | N.A                | Website: gehu.ac.in   |

प्रदेश के महाविद्यालयों के प्राचार्य, दूरभाष, मोबाइल नम्बर व ई-मेल

**शासकीय महाविद्यालय**

| क्रम संख्या | महाविद्यालय का नाम                               | प्राचार्य का नाम                        | दूरभाष (महाविद्यालय) | मोबाइल न0 (प्राचार्य) | ई-मेल (महाविद्यालय)               | ई-मेल (प्राचार्य )                     |
|-------------|--|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
|             | <b>नैनीताल</b>                                   |   |                      |                       |                                   |  |
| 1           | एम0 बी0 राजकीय स्ना0 महाविद्यालय, हल्द्वानी      | डा0 बी.सी. मेलकानी                      | 05946-222017         | 9837376604            | principa!@mbgpgcollege. org       | principal@mbgpgcollege. org            |
| 2           | रा0 महिला महावि0, हल्द्वानी                      | डा0 (श्रीमती) भगवती वर्मा               | 05946-284518         | 9720250831            | ggdc.106@ rediff.com              | -                                      |
| 3           | रा0 स्नात0 महाविद्यालय, रामनगर                   | डा0 पी.एस. मखलोगा                       | 05947-251326         | 9412139910            | gpgcramnagar.org                  | principal pngrrm@yahoo.com             |
| 4           | प0पू0ति0 रा0 महावि0 दोषापानी, चौखुटा             | डा0 (श्रीमती) रेखा पाण्डे               | 05942-246272         | 9412983162            | gdcdhoshapani@gmail.com           | -                                      |
| 5           | रा0 महावि0 कोटाबाग                               | डा0 सुनिता गुप्ता                       | 05947-212267         | 9412323209            | melkani.kotabagh @ rediffmail.com | -                                      |
|             | <b>बागेश्वर</b>                                  |   |                      |                       |                                   |  |
| 6           | कु0के0प0ब0द0पा0 रा0 स्नात0 महाविद्यालय, बागेश्वर | डा0 सुरेश चन्द्र पन्त                   | 05963-220081         | 9639208054            | gpgcbage:shwar@ yahoo.co.in       | drsureshc pant @gmail.com.             |
| 7           | रा0 महावि0, कपकोट                                | डा0 गोविन्द सिंह रावत                   | 05963-253453         | 9837863778            | dr gsrawat! @ yahoo.co.in         | govt.degrecollegekapkote @ yahoo.co.in |
| 8           | रा0 महावि0, काण्डा                               | डा0 भवानी दत्त काण्डपाल                 | 05963-241256         | 9411343874            | -                                 | -                                      |
| 9           | रा0 महावि0, गरुड़                                | डा0 सुरेश चन्द्र पन्त (अतिरिक्त प्रभार) | -                    | 9639208054            | -                                 | drsureshc pant @gmail.com.             |
|             | <b>अल्मोड़ा</b>                                  |   |                      |                       |                                   |  |
| 10          | रा0 स्ना0 महावि0, रानीखेत                        | प्र0 हेम चन्द्र तिवारी                  | 05966-220372         | 9411303295            | pg.principal rkt@ rediffmail.com  | -                                      |

|    |   |                                    |              |            |                                  |                                |
|----|---|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 11 | रा० स्ना० महावि०, द्वाराहाट               | डा० ए.के. श्रीवास्तव<br>(प्रभारी)  | 05966-244447 | 9411270052 | gpgcdwarahat@yahoo.co.in         | -                              |
| 12 | रा० महावि०, मानिला                        | डा० (श्रीमती) जी०<br>प्रकाश        | 05966-248123 | 9411102155 | -                                | -                              |
| 13 | रा० महावि०, जैती                          | डा० कमला चन्पाल                    | -            | 9410588416 | gdcjainti@gmail.com.             | -                              |
| 14 | रा० महावि०, चौखुटिया                      | डा० (श्रीमती) मीनू<br>श्रीवास्तव   | 05966-246696 | 9634766488 | gdcchauhutia@gmail.com           | meenusrivasa@rediff.com        |
| 15 | रा० महावि०, गुरुडाबांज                    | प्र० आर०एस०भट्ट                    | -            | 9760213985 | -                                | -                              |
| 16 | रा० महावि०, सोमेश्वर                      | डा० प्रताप सिंह                    | 05962-243258 | 9412967071 | gdcsomeshwar@gmail.com           | singh.p1953@gmail.com          |
| 17 | रा० महावि०, भिक्यासैण                     | डा० हरवंश लाल अरोरा                | -            | 9411324936 | -                                | -                              |
| 18 | रा० महावि०, स्याल्दे                      | डा० सी.एस. मेहता                   | 05966-247591 | 9456780661 | -                                | -                              |
|    | <b>पिथौरागढ़</b>                          |                                    |              |            |                                  |                                |
| 19 | एल०एस०एम० रा० स्नात०<br>महावि०, पिथौरागढ़ | डा० डी०एस० पॉंगती                  | 05964-264027 | 9412096223 | drdspangteyprincipal@gmail.com   | drdspangteyprincipal@gmail.com |
| 20 | रा० स्ना० महावि०, बेरीनाग                 | डा० डी०के०पाण्डे                   | 05964-244641 | 9719413050 | gpgcberinag.org                  | -                              |
| 21 | रा० महावि०, नारायणनगर<br>(डीडीहाट)        | डा० उमा पाठक                       | 05964-234107 | 9897732025 | -                                | umapathak60@gmail.com          |
| 22 | रा० महावि०, बलूवाकोट,<br>धारचूला          | डा० पी० के० पाठक                   | 05967-226454 | 9410515303 | gdcbaluwakote1996@rediffmail.com | pkpathak1957@rediffmail.com    |
| 23 | रा० महावि०, मुन्स्यारी                    | डा० प्रेम प्रकाश                   | 05961-222320 | 9412944730 | -                                | -                              |
| 24 | रा० महावि०, गंगोलीहाट                     | डा० ए०के० गुरुरानी,                | 05964-242330 | 9412981112 | -                                | -                              |
|    | <b>चम्पावत</b>                            |                                    |              |            |                                  |                                |
| 25 | रा० महावि०, चम्पावत                       | डा० बी०डी० पंत                     | 05965-230462 | 9412134642 | gpgc.cpt@gmail.com               | gpgc.cpt@gmail.com             |
| 26 | स्व० वि० रा० स्नात०<br>महावि०, लोहाघाट    | डा० (श्रीमती) गंगोत्री<br>त्रिपाठी | 05965-234552 | 9412164634 | govtpg_collegelohaghat@gmail.com | gangotritripathi@gmail.com     |
| 27 | रा० महावि०, टनकपुर                        | श्रीमती करुणा खुन्नु               | 05943-265672 | 9410105722 | gdctanakpur@gmail.com            | -                              |

|    |   |                                       |              |            |                                    |                          |
|----|---|---------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------|--------------------------|
|    | <b>उधम सिंह नगर</b>                       |                                       |              |            |                                    |                          |
| 28 | हे०न०ब० रा० स्नात० महावि०, खटीमा          | डा० भूपाल सिंह नेगी                   | 05943-252244 | 9410341004 | gpgckhatima@gmail.com              | -                        |
| 29 | स०भ०सि० रा० स्नात० महावि०, रुद्रपुर       | डा० जगदीश प्रसाद                      | 05944-243586 | 9410732049 | gpgc.rdr@gmail.com                 | pjagdish 30@yahoo.com    |
| 30 | रा०ह० रा० स्नात० महावि०, काशीपुर          | डा० ए०एस० सिराड़ी                     | 05947-262332 | 9675284340 | rhgpgc@gmail.com                   | arjun.sirari@gmail.com   |
| 31 | रा० महावि०, बाजपुर                        | डा० नगेन्द्र द्विवेदी (प्रभारी)       | 05949-282140 | 9411539301 | gdcbajpur@rediffmail.com           | gdcbajpur@rediffmail.com |
|    | <b>पौड़ी</b>                              |                                       |              |            |                                    |                          |
| 32 | डा०पी०द०ब०हि० रा० स्नात० महावि०, कोटद्वार | डा० (श्रीमती) कुमकुम रौतेला (प्रभारी) | 01382-222188 | 9837362132 | principalgpgckot@rediffmail.com    | -                        |
| 33 | डा०एस०ए०न०ए०न० रा० महावि०, बेदीखाल        | डा० श्रीमती गंगा वोरा                 | 01382-213321 | 9568404737 | -                                  | -                        |
| 34 | रा० स्ना० महावि०, (लैन्सडाउन) जयहरीखाल    | प्र० आर०के० गुप्ता                    | 01366-276641 | 9410715099 | principal lansdowne@rediffmail.com | -                        |
| 35 | रा० महावि०, चौबट्टाखाल                    | डा० सुभाष चन्द्र वर्मा                | 01386-265354 | 8755322011 | principal.chaubatakhal@gmail.com   | verma.subhas@gmail.com   |
| 36 | रा० महावि०, थलीसैण                        | डा० सोहन लाल भट्ट                     | 01348-225847 | 9412937650 | -                                  | -                        |
| 37 | रा० महावि०, नैनीडांडा                     | डा० सुशीला सुद                        | -            | 9458812849 | gdcnaindanda.com                   | -                        |
| 38 | रा० महावि०, सतपुली                        | प्र० प्रवीन जोशी                      | 01386-273688 | 9634237097 | -                                  | -                        |
| 39 | रा० महावि०, रिखणीखाल                      | डा० ज्ञानेन्द्र कुमार रावत (प्रभारी)  | 01386-278205 | 9412581873 | -                                  | -                        |
| 40 | रा० महावि०, मजरा महादेव                   | डा० सोहन लाल भट्ट (अतिरिक्त प्रभार)   | 7351316764   | 9412937650 | -                                  | -                        |
|    | <b>चमोली</b>                              |                                       |              |            |                                    |                          |
| 41 | रा० स्नातक० महावि० गोपेश्वर               | डा० (श्रीमती) आशा जुगरान              | 01372-252145 | 9897144324 | gpgcgopeshwar@gmail.com.           | ashajugran@gmail.com     |

|    |  |  |              |             |                                  |                              |
|----|--|--|--------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|
| 42 | रा० महावि०, जोशीमठ                           | प्र० के० के० एस० नेगी                      | 01389-221017 | 9456365888  | principalgdc.joshimath@gmail.com | kksingh.negi@gmail.com       |
| 43 | रा० महावि०, तलवाडी                           | डा० महेश चन्द्र नैनवाल                     | 01363-277843 | 98976009293 | gdctalwari@yahoo.com             | gdctalwari@yahoo.com         |
| 44 | रा० महावि०, गैरसैण                           | डा० ऐ० के० श्रीवास्तव                      | 01363-268361 | 9412125476  | gdcgairsain@gmail.com            | anasrivas@rediffmail.com     |
| 45 | रा० महावि०, नागनाथ पोखरी                     | डा० ललित प्रभा शर्मा                       | 01372-213886 | 9719360981  | -                                | yogesh prabha@rediffmail.com |
| 46 | रा० विधि० महावि०, गोपेश्वर                   | डा० (श्रीमती) आशा जुगरान (अतिरिक्त प्रभार) | 01372-251343 | 9897144824  | lawcollegegopeshwar@gmail.com.   | ashajugran@gmail.com         |
| 47 | रा० महावि० कर्णप्रयाग                        | डा० एम० एस० रौतेला                         | 01363-244129 | 7895470901  | gdckpg1979@gmail.com             | -                            |
|    | <b>रुद्रप्रयाग</b>                           |  |              |             |                                  |                              |
| 48 | श्री०अ०प्र०व० रा० स्नात० महावि०, अगस्त्यमुनि | डा० चन्द्रराम                              | 01364-256229 | 8954710069  | college agm@rediffmail.com       | principal agm@rediffmail.com |
| 49 | रा० महावि०, जखौली                            | डा० माधुरी                                 | 01370-234285 | 9411157134  | -                                | -                            |
| 50 | रा० महावि० रुद्रप्रयाग                       | प्र० गिरीश चन्द्र मिश्रा                   | 01364-233025 | 9412938102  | principalrpg@gmail.com           | m.girishchandra@gmail.com    |
| 51 | श्री०ग०मे० रा० महावि० विद्यापीठ गुप्तकाशी    | डा० चन्द्रराम (अतिरिक्त प्रभार)            | 01364-256229 | 8954710069  | -                                | -                            |
|    | <b>उत्तरकाशी</b>                             |  |              |             |                                  |                              |
| 52 | रा०उ० रा० स्नात० महावि०, उत्तरकाशी           | डा० मृगेश पाण्डे                           | 01374-222148 | 9412096086  | gpgc uttarkashi@redff email.com  | mrigesh pande 36@yahoo.co.in |
| 53 | रा० महावि०, बड़कोट                           | प्र० के० एल० मालगुडी                       | 01375-224428 | 9410146927  | gdcbkt@gmail.com                 | principalgdcbkt@gmail.com    |
| 54 | ब०ला०जु० रा० महावि०, पुरौला                  | डा० गंगा सिंह बिष्ट                        | 01375-223018 | 9412953181  | -                                | dr virendrajoshi@gmail.com   |
| 55 | रा० महावि०, चिन्यालीसौंड                     | डा० पी० सी० तिवारी                         | 01371-237153 | 9412410976  | gdcchinyalisaur@yahoo.in         | mail2buja@yahoo.co.in        |
|    | <b>नई टिहरी</b>                              |  |              |             |                                  |                              |
| 56 | रा० महावि०, नई टिहरी                         | डा० अशोक कुमार                             | 01376-234964 | 9411531788  | gpgc.ntt@indiatimes.com          | ashok.kumar0555@gmail.com    |

|    |                                       |                                   |              |             |  |                                  |
|----|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|--|----------------------------------|
| 57 | ओ०स० रा० महावि०,<br>देवप्रयाग         | प्रो० एन० एस० बिष्ट               | 01378-266231 | 9756390506  | ONSGDC@gmail.com                             | -                                |
| 58 | रा० महावि०, अगरोड़ा                   | डा० यू० एस० रावत                  | 09358841156  | 948967779   | -  | -                                |
| 59 | रा० महावि०, चन्द्रबदनी                | डा० सूरत सिंह बलूड़ी<br>(प्रभारी) | 01378-237410 | 9412949703  | gdcc@gmail.com                               | drsursinghbaloori<br>@gmail.com  |
| 60 | रा० महावि०, नैनबाग                    | डा० अर्चना गौतम                   | 01376-228529 | 9412029615  | -  | -                                |
| 61 | रा० महावि०, लम्बगाँव                  | डा० राजीव रतन                     | 01379-219645 | 9415882929  | gdclambgaon2001@gmail.com                    | dr71@gmail.com                   |
| 62 | रा० महावि०, पौखाल                     | डा० के०एस०जौहरी                   | 01376-212156 | 9412995782  | gdcpaukhal<br>@gmail.com                     | drksjauhari@gmail.com            |
| 63 | रा० महावि०, नरेन्द्रनगर               | डा० एन० पी० माहेश्वरी             | 01378-227031 | 09837442009 | gdcnarendranagar@gmail.com                   | maheshwari.np@gmail.com          |
| 64 | रा० महावि०, थत्तूड                    | डा० सत्यपाल सिंह                  | 01376-246496 | 9412002015  | -  | www.SATKM-537.gmail              |
|    | <b>देहरादून</b>                       |                                   |              |             |  |                                  |
| 65 | वी०श०के०च० रा० महावि०,<br>डाकपत्थर    | डा० गौरी सेवक                     | 01360-222202 | 9411106551  | govt.degreecollegedakpathar @<br>yahoo.co.in | gauri.sewak@ yahoo.co.in         |
| 66 | प०ल०मो०श० रा० स्ना०<br>महावि०, ऋषिकेश | डा० (श्रीमती) हेमा<br>प्रसाद      | 0135-2430495 | 9412087397  | gpgc.rishikesh@gmail.com                     | dr. Prasad hema<br>@gmail.com    |
| 67 | शा०दु०म० रा० महावि०,<br>डोईवाला       | डा० हर्षवन्ती बिष्ट               | 0135-2410905 | 9412026580  | www.gdcd.com                                 | harashvanti@gmail.com            |
| 68 | श्री गु० सिंह रा० महावि०,<br>चकराता   | डा० जे० सी०<br>घिल्डियाल          | 01360-272547 | 9411156293  | govt.degreecollegechakarata@gmail<br>.com    | drjcguildiyal@rediffmail.co<br>m |
| 69 | रा० महावि०, त्यूनी                    | डा० एम० एम० जोशी                  | 01360-285180 | 9456706412  | -  | -                                |
| 70 | रा० महावि०, लक्सर                     | डा० देवेश्वरी बिष्ट               | 01332-255436 | 9411745483  | -  | -                                |

अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय :

| क्रम सं० | महाविद्यालय का नाम                       | प्राचार्य का नाम         | दूरभाष (महाविद्यालय) | मोबाइल न० (प्राचार्य) | ई-मेल (महाविद्यालय)                   | ई-मेल (प्राचार्य)                     |
|----------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1        | डी० ए० वी० (पी०जी०) कालेज, देहरादून      | डा० देवेन्द्र भसीन       | 0135-2743555         | 9412008800            | -                                     | devendra k bhasin @ gmail.com         |
| 2        | डी०बी०एस० (पी०जी०) कालेज, देहरादून       | डा० ओ०पी० कुलश्रेष्ठ     | 0135-2654757         | 9412976288            | dayabrij@gmail.com                    | opkul@rediff.com                      |
| 3        | डी० डब्लू० टी० (पी०जी०) देहरादून कालेज   | डा० आरती दीक्षित         | 0135-2658825         | 9410512273            | -                                     | -                                     |
| 4        | एम०के०पी० (पी०जी०) कालेज, देहरादून       | डा० किरन सूद (कार्यवाहक) | 0135-2654829         | 9412054890            | -                                     | -                                     |
| 5        | श्री गुरु राम राय पी०जी० कालेज, देहरादून | डा० बी०ए० बौड़ाई         | 0135-2624881         | 9412992800            | vinayanandbourai@yahoo.com            | vinayanandbourai@yahoo.com            |
| 6        | एम०पी०जी० कालेज मसूरी                    | डा० आर०एस० शुक्ला        | 0135-2632889         | 9412054903            | mpgcollege@yahoo.com                  | mpgcollege@yahoo.com                  |
| 7        | एस०एम०जे०एन० (पी०जी०) कालेज हरिद्वार     | डा० अवनीत कुमार          | 01334-324354         | 9411727072            | smjncollege@gmail.com                 | avneetghildial@gmail.com              |
| 8        | चिन्मय डिग्री कालेज हरिद्वार             | डा० आलोक कुमार           | 01334-230478         | 9837355796            | chinmayprincipal@yahoo.com            | principal@chinmaycollegehdr.co.in     |
| 9        | महिला महाविद्यालय सतीकुण्ड हरिद्वार      | डा० (श्रीमती) गीता जोशी  |                      | 9410594235            | -                                     | -                                     |
| 10       | आर०एम० पी०जी० कालेज नारसन हरिद्वार       | डा० बी०एल० कुशवाह        | 01332-229221         | 9410371646            | principalrmppgcollegenarsan@gmail.com | principalrmppgcollegenarsan@gmail.com |
| 11       | बी०एस०एम० पी०जी० कालेज रुड़की            | डा० वी०पी० गौतम          | 01332-272218         | 9917385959            | bsmroorkee@indiatimes.com             | bsmroorkee@indiatimes.com             |
| 12       | के०एल०डी०ए०वी पी०जी० कालेज रुड़की        | डा० यशोदा मित्तल         | 01332-262268         | 9412929037            | pym.kldavpgcr@gmail.com               | pym.kldavpgcr@gmail.com               |

|    |   |                      |              |            |                                   |                                   |
|----|---|----------------------|--------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 13 | एस0डी0पी0सी0 जी0पी0जी0 कालेज रुड़की         | डा0 शालिनी जोशी      | 01332-262705 | 9837257751 | ssd.degree@gmail.com              | shalinidoonuniv@gmail.com         |
| 14 | आर्य कन्या महाविद्यालय अल्मोड़ा             | डा0 सुषमा दयाल जौहरी | 05962-232376 | 9027992424 | -                                 | -                                 |
| 15 | चन्द्रावती तिवारी कन्या महाविद्यालय काशीपुर | डा0 कीर्ति पन्त      | 05947-278316 | 9837192150 | ctcollege kashipur@rediffmail.com | kritipant kashipur@rediffmail.com |
| 16 | बालगंगा महाविद्यालय सेन्दुल कैमर टिहरी      | डॉ0 शिव दयाल जोशी    | 01379-213249 | 8057823050 | -                                 | -                                 |

## NATIONAL LEVEL EDUCATIONAL BODIES

| <b>Address of the Body</b>   | <b>Telephone</b>                        | <b>Website</b>            | <b>E-mail</b>               |
|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| University Grants Commission, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002  | 011-23239627<br>Fax- 011-23231797       | www.ugc.ac.in             | webmaster@ugc.ac.in         |
| All India Council for Technical Education (AICTE) 7 <sup>th</sup> Floor, Chanderlok Building Janpath, New Delhi-110001 | 011-23724151 to 57<br>Fax- 011-23724183 | www.aicte-india.org       | -                           |
| National Assessment & Accreditation Council (NAAC), P.O. Box No. 1075, Nagarbhavi Bangalore - 560072                   | 080-23210267<br>Fax- 080-23210268       | www.naac.gov.in           | naac@blr.vsnl.net.in        |
| National Council for Teacher Education (NCTE), Hans Bhavan Wing -II 1, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002       | 011-23370176<br>Fax-011-23370128        | www.ncte-india.org        | -                           |
| Medical Council of India, (MCI), Pocket -14, Sector-8, Dwarka Phase-1, New Delhi-110077                                | 011-25367033<br>Fax-011-25367024        | www.mciindia.org          | mci@bol.net.in              |
| Bar Council of India (BCI), 21 Rouse Avenue Institutional Area, Near Bal Bhavan, New Delhi-110002                      | 011-49225000<br>Fax- 011-49225011       | www.barcouncilofindia.org | info@.barcouncilofindia.org |

|   |                                   |                  |                        |
|---|-----------------------------------|------------------|------------------------|
| Pharmacy Council of India (PCI), AIWAN-E-Galib Marg, Kotla Road, P.B.No. 7020 New Delhi-110 002                 | 011-23239184<br>Fax-011-23239184  | www.pci.nic.in   | pci@ndb.vsnl.net.in    |
| Association of Indian Universities (AIU) AIU House 16, Kotla Marg , New Delhi-110 002                           | 011-23230059<br>Fax-011-23232131  | www.aiuweb.org   | info@aiuweb.org        |
| National Council of Educational Research & Training (NCERT) Sri Aurobindo Marg New Delhi-110 016                | 011-26852261                      | www.ncert.nic.in | -                      |
| National University of Educational Planning & Administration (NUEPA) 17-B, Sri Aurobindo Marg New Delhi-110 016 | 011-26863562<br>Fax- 011-26853041 | www.nuepa.org    | nuepa@nuepa.org        |
| Dental Council of India, Kotla Road, Temple Lane New Delhi-110002   | 011-23238542<br>Fax-011-23231252  | www.dciindia.org | secretary@dciindia.org |

## सरकारी कार्य प्रणाली व व्यवहार

किसी भी संगठन या विभाग की सफलता मुख्यतया उस संगठन/विभाग के मानव संसाधनों (कार्मिकों) की कार्यक्षमता पर निर्भर करती है। जिस विभाग में अधिकांश कार्मिक अपने अधिकारी के साथ मिलकर निश्चित लक्ष्य या दिशा की ओर अपने सम्पूर्ण योगदान के साथ अग्रसर होते हैं, कहा जा सकता है कि उस विभाग में टीमवर्क है। सफलता प्राप्त करने के लिए नियमों, सिद्धान्तों व उच्च मापदण्डों पर आधारित कार्य प्रणाली अपनानी आवश्यक है। किसी भी सरकारी संगठन/विभाग के कुशल संचालन के लिए कार्य नियमों (Rules of Business) का अनुपालन अपेक्षित है। अतः सरकारी विभागों में कार्यरत सभी कार्मिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह शासकीय नियमों के अनुसार ही कार्य करें। तदनुसार सुलभ सन्दर्भ के लिए कतिपय अति महत्वपूर्ण शासकीय विषयों के निर्देशों की संक्षेपिका निम्नलिखित है :-

### (अ) अधिष्ठान सम्बन्धी नियम (नियुक्ति एवं प्रोन्नति)

सरकारी विभागों में नियुक्ति के निम्नलिखित प्रकार हैं :-

1. मौलिक नियुक्ति
2. संविदा पर नियुक्ति
3. दैनिक वेतनभोगी जिन्हें आकस्मिक व्यय की धनराशि से अदायगी की जाती है
4. विनिर्दिष्ट अवधि के लिए सेवायोजित
5. तदर्थ/अल्प कालिक व्यवस्था/रिक्तियों में सेवा योजित
6. कार्य प्रभारित (वर्क चार्ज) अधिष्ठान में समायोजित
7. पुनर्नियुक्ति

सरकारी सेवा में भर्ती के दो स्रोतों (सीधी भर्ती एवं पदोन्नति) के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दु महत्वपूर्ण हैं :-

#### 1. सेवा नियमावली

स्वस्थ कार्मिक व्यवस्था तथा सरकारी कर्मचारियों की सेवा से सम्बंधित महत्वपूर्ण मामलों के सुव्यवस्थित निस्तारण हेतु सेवा नियमावली का अपरिहार्य महत्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत प्रत्येक सेवा संवर्ग के लिए सेवा अधिनियम न बन सकने तक की अवधि के लिए सेवा नियमावली बनाकर सेवा सम्बन्धी मामलों के निस्तारण की व्यवस्था की गयी है। सेवा नियमावली में सेवा संवर्ग का विवरण, भर्ती का स्रोत, अर्हता (शैक्षिक योग्यता, आयु, चरित्र, शारीरिक क्षमता आदि) चयन की प्रक्रिया, नियुक्ति, परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, ज्येष्ठता, पदोन्नति आदि प्रकरणों पर स्पष्ट नीति अंकित होती है।

## 2. चयन वर्ष

सीधी भर्ती या पदोन्नति जो भी की जानी हो, वह एक चयन वर्ष के लिए की जाती है। सामान्यतः 1 जुलाई से प्रारम्भ होकर 30 जून तक की अवधि को एक चयन वर्ष की संज्ञा दी जाती है।

## 3. चयन की संस्थायें

किसी भी भर्ती के पूर्व चयन की संस्था का निर्धारण किया जाना आवश्यक है। सरकारी पदों पर चयन हेतु सामान्यतः समूह 'क' एवम् 'ख' के लिए लोक सेवा आयोग, समूह 'ग' पदों के लिए उन पदों को छोड़कर, जो लोक सेवा आयोग के परिधि में हैं, विभागाध्यक्ष/ शासन द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर एवम् समूह 'घ' के पदों पर विभागीय चयन समितियों के माध्यम से चयन की कार्यवाही की जाती है।

## 4. रिक्तियों की गणना (वर्षवार रिक्तियों की गणना)

सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति दोनों मामलों में सर्व प्रथम सम्बन्धित चयन वर्ष की रिक्तियों की गणना जाती है, जिसके लिये उक्त चयन वर्ष में सेवा निवृत्ति, पदोन्नति के उपरान्त परिणामी रिक्तियों, विस्तार के फलस्वरूप नये पदों के सृजन एवं कुछ आकस्मिक रिक्तियों, सभी की गणना करते हुए रिक्तियों की संख्या तय की जाती है।

## 5. आरक्षण

रिक्तियों की गणना करने के पश्चात् उन रिक्तियों पर विभिन्न वर्गों को प्राप्त आरक्षण की गणना तत्समय लागू शासकीय नीति के आधार पर की जाती है।

## 6. सीधी भर्ती में चयन की प्रक्रिया

1. समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर
2. कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर सूचना चस्पा करके अथवा रेडियो अथवा टेलीविजन और रोजगार समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करके तथा
3. जहाँ नियमों में सेवायोजन कार्यालयों से नाम मंगाये जाने का प्राविधान है, वहाँ ऐसे कार्यालयों से चयन वर्ष की रिक्तियों और उन पर विभिन्न वर्गों को देय आरक्षण की सूचना के आधार पर नियुक्तियों को विज्ञापित करने, प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने, उनकी समीक्षा करने के उपरान्त लिखित परीक्षा या मौखिक या दोनों आयोजित कर प्राप्ताकों के आधार पर योग्यता सूची बनायी जाती है। योग्यता सूची में अंकित क्रम में नियुक्ति आदेश जारी किये जाते हैं।

**संवर्ग** : किसी पृथक इकाई के रूप में स्वीकृत किसी सेवा या सेवा के किसी भाग की सदस्य संख्या को संवर्ग कहते हैं।

**स्रोत संवर्ग** : जिस संवर्ग से ऊपर के संवर्ग में प्रोन्नति की जाती है उसे स्रोत संवर्ग कहते हैं।

**पात्रता सूची** : पदोन्नति करते समय जिन कार्मिकों को विचार क्षेत्र में रखा जाता है, उनके विवरण को पात्रता सूची कहते हैं।

पदोन्नति की कार्यवाही के पूर्व निम्न कार्यवाहियों पूर्ण किया जाना आवश्यक है :-

- (अ) निर्विवादित ज्येष्ठता का होना।
- (ब) पात्रता क्षेत्र में आने वाले अभ्यर्थियों की चरित्र पंजिका की प्रविष्टियां अद्यावधिक करना व प्रतिकूल प्रविष्टियों को संसूचित कर, उनके विरुद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण।

## **(ब) आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व**

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्धारण कोषागार नियम और उसके अधीन बनाई गयी विभिन्न वित्तीय नियमावलियों द्वारा किया गया है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उक्त नियमावलियों के साथ-साथ बजट मैनुअल, विभागीय मैनुअल, भविष्य निधि नियमावली, पेंशन नियमावली, आयकर अधिनियम एवं नियम, यात्रा भत्ता नियम तथा वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं में दिये गये नियमों का अनुपालन करना होता है। उपर्युक्त के साथ ही प्रशासनिक विभाग, वित्त विभाग तथा विभागाध्यक्षों के स्तर से समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व है। आहरण एवं संवितरण अधिकारी किसी कार्यालय विशेष के समस्त शासकीय लेन-देन अथवा वित्तीय व्यवहारों के सम्यक संचालनार्थ उत्तरदायी होते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के प्रमुख कर्तव्यों एवं दायित्वों के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि वह :-

1. सरकारी धन की प्राप्ति स्वीकार करने, प्राप्त धन की सुरक्षित अभिरक्षा करने तथा उसे अनावश्यक विलम्ब किये बिना कोषागारों में सही लेखा-शीर्षक के अन्तर्गत जमा करने की व्यवस्था करें।
2. धन की प्राप्ति व उसको कोषागार में जमा करने सम्बन्धित प्रत्येक लेन-देन को लेखाबद्ध करें।
3. सरकार द्वारा देय भुगतान हेतु कोषागार से विधिवत आहरण, आहरित धनराशि की सुरक्षित अभिरक्षा तथा प्रत्येक मद का सही व्यक्ति को यथा समय भुगतान कर लेन-देन सम्बन्धित लेखों में करने के उपरान्त उनका उचित रीति से रख-रखाव व वांछित विवरणियों का प्रेषण यथा समय करें।
4. कार्यालय में कार्यरत सभी सरकारी सेवकों से सम्बन्धित सेवा अभिलेखों और भविष्य निधि से सम्बन्धित लेखों व पास बुकों का रख-रखाव करें तथा सरकारी सेवकों के वेतन से कटौती का अभिलेख रखें तथा उनकी अभिरक्षा करें। उचित कटौतियों को करने व उनसे सम्बन्धित अनुसूचियों को विधिवत तैयार कर उनको बिलों के साथ संलग्न करने का दायित्व भी आहरण एवं संवितरण अधिकारी का ही है।

5. नकद लेन-देन करने वाले कर्मचारी व स्टोर के प्रभारी कर्मचारी से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व नियमों द्वारा निर्धारित जमानत की धनराशि जमा करवा लें तथा सुनिश्चित करें कि धन का गबन व सरकारी वस्तुओं का दुरुपयोग न होने पाये।
6. विभिन्न नियमावलियों के अर्न्तगत निर्धारित रजिस्ट्रों का रख-रखाव उचित रूप से करें।
7. आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक कार्यालय जिसका वह आहरण एवं संवितरण अधिकारी है, से सम्बन्धित मासिक व्यय की मानक मदवार सूचना प्रपत्र बी०एम०-८ पर अनुवर्ती माह के प्रथम सप्ताह में विभागाध्यक्ष को नियमित रूप से प्रस्तुत की जानी चाहिए।

### (स) सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली

सरकारी कार्मिकों एवं सरकार के बीच स्वामी और सेवक का सम्बन्ध होता है। स्वामी द्वारा अपने सेवकों से यह अपेक्षा की जानी स्वाभाविक है कि वह अपना कार्य एवं व्यवहार इस प्रकार करें कि उससे स्वामी की छवि खराब न हो। सेवकों का कोई भी दुराचरण सरकार की छवि को धूमिल कर सकता है। अतः सरकार अपने सेवकों के लिए जनता के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में आचरण विनियमन करने के लिए आचरण नियमावली का निर्माण करती है। आचरण नियमावली के कतिपय महत्वपूर्ण नियम निम्नांकित हैं :-

1. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी पूरे समय परम सत्यनिष्ठा तथा कर्तव्य परायणता से कार्य करता रहेगा। पूर्ण सत्यनिष्ठा का अर्थ सच्चाई, ईमानदारी एवं शुद्धता से हैं। यदि किसी सरकारी कर्मचारी से पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाये रखने की अपेक्षा की जाय तो यह कहा जायेगा कि वह अपने को उस प्रशासकीय शिष्टता के घेरे में रखे जिसे सभ्य प्रशासन कहा जाता है। घूस लेना या अवैध पारितोषिक की मांग करना, अपनी आय के अनुपात से अधिक की सम्पत्ति कय करना या गलत लेखा तैयार करना, दुर्विनियोजन करना, गलत व्यक्ति को प्रोत्साहित करना आदि कुछ ऐसे उदाहरण हैं, जो सत्यनिष्ठा के विपरीत हैं। कर्तव्य परायणता की परिभाषा, सेवा के प्रति पूर्ण निष्ठा से संबंधित है। ऐसा सरकारी कार्मिक जो कर्तव्य के प्रति समर्पित नहीं है, दुराचरण का दोषी है। वास्तव में सत्यनिष्ठा व कर्तव्य परायणता एक ही के प्रतिरूप हैं।
2. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी पूरे समय पर व्यवहार तथा आचरण नियमित करने वाले विशिष्ट या ध्वनित आदेशों के अनुसार आचरण करेगा। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी चाहे वह अस्थाई, हो अथवा स्थाई या अन्य किसी प्रक्रिया द्वारा नियोजित हो, को शासन द्वारा समय-2 पर जारी किये गये वैधानिक आदेशों का अनुपालन करना आवश्यक है। यदि सरकारी कर्मचारी सत्यनिष्ठा व कर्तव्य परायण नहीं है अथवा वह विशिष्ट या ध्वनित आदेशों का अनुपालन नहीं करता है तो उसका कृत्य दुराचरण की श्रेणी में आयेगा।

3. कोई सरकारी कर्मचारी, किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीड़न के किसी कार्य में संलिप्त नहीं होगा।
4. प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो किसी कार्य स्थल का प्रभारी हो, उस कार्यस्थल पर किसी महिला के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगा।
5. किसी भी क्षेत्र, जहाँ वह उस समय विद्यमान हो, मादकपान अथवा औषधि सम्बन्धी जारी किसी भी आदेश का दृढ़ता से पालन करेगा।
6. कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल अथवा किसी ऐसी संस्था जो राजनीति में भाग लेती है, का न तो सदस्य होगा और न उससे सम्बन्ध रखेगा। वह किसी ऐसे आन्दोलन में या संस्था में हिस्सा नहीं लेगा, न उसकी सहायता के लिए चन्दा देगा या किसी रीति से उसकी मदद ही करेगा जो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के प्रति विद्रोहात्मक कार्यवाहियां करने की प्रवृत्ति पैदा करे।
7. सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन में रुकावट नहीं है, लेकिन वह ऐसा प्रदर्शन नहीं करेंगे अथवा ऐसे प्रदर्शन में सम्मिलित नहीं होगा, जो भारत राष्ट्र की अखण्डता, प्रभुता एवम् सुरक्षा तथा मर्यादित आचरण व विधिक व्यवस्था के प्रतिकूल हो।
8. सरकारी सेवक अपनी सेवा या किसी अन्य सरकारी कर्मचारी की सेवा से संबंधित मामले में न तो हड़ताल करेंगे और न हड़ताल करने के लिए उत्प्रेरित करेंगे।
9. कोई सरकारी सेवक बिना शासन की पूर्वानुमति के किसी समाचार पत्र अथवा अन्य नियतकालिक प्रकाशन का पूर्णतः अथवा अंशतः स्वामी नहीं बनेगा और न संचालन करेगा और न ही उसके सम्पादन या प्रबंधन में भाग लेगा।
10. कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में अपने नाम से अथवा गुमनाम अथवा किसी अन्य नाम से किसी लेख अथवा समाचार पत्र में भेजे गये पत्र अथवा किसी सार्वजनिक स्थान में कोई ऐसे तथ्य की बात या मत व्यक्त नहीं करेगा, जिससे उत्तराखण्ड सरकार, केन्द्र सरकार अथवा अन्य राज्य सरकार की नीतियों अथवा वरिष्ठ पदाधिकारियों के निर्णयों की प्रतिकूल आलोचना होती हो।
11. सरकारी कर्मचारियों के पास गोपनीय तथा अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं। इस नियम के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई सरकारी कर्मचारी को अथवा अन्य व्यक्ति को, जिसे ऐसा लेखा रखने अथवा सूचना पाने का विधिक अधिकार नहीं है, को न तो देगा और न ही उसके पास जाने देगा। इसी प्रकार किसी भी पत्रावली की टीप का उद्धरण भी नहीं किया जा सकता है।
12. कोई सरकारी कर्मचारी बिना शासन की पूर्वानुमति के स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति से, जो उसका निकट संबंधी न हो कोई भेंट, अनुग्रह, धन

या पुरस्कार स्वीकार नहीं करेगा और न ही अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी भेंट, अनुग्रह, धन या भेंट स्वीकार करने की अनुमति देगा।

13. कोई भी सरकारी सेवक न तो दहेज लेगा न उसके देने या लेने के लिए दुष्प्रेरित करेगा और न ही वर-वधू या वर-वधू के माता पिता या उसके संरक्षक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी दहेज की मांग करेगा।
14. कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उस दशा के जबकि उसने सरकार की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त कर ली हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी व्यापार या कारोबार में नहीं लगेगा और न ही कोई नौकरी करेगा।
15. कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा से सम्बन्धित अपने हितों के सम्बन्ध में किसी मामले में कोई राजनीतिक अथवा अन्य बाह्य साधनों से न तो स्वयं अथवा अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य द्वारा कोई प्रभाव डालेगा या प्रभाव डलवाने का प्रयास करेगा।

### (द) अवकाश नियम

अवकाश के सम्बन्ध में कतिपय प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं :-

1. अवकाश केवल ड्यूटी देकर ही उपार्जित किया जाता है। इस नियम के लिए बाह्य सेवा में व्यतीत की गई अवधि को ड्यूटी माना जाता है, यदि ऐसी अवधि के लिए अवकाश वेतन के लिए अंशदान का भुगतान कर दिया गया है।
2. विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत देय अन्य अवकाश शासन के अधीनस्थ उन प्राधिकारियों द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिन्हें राज्यपाल, नियम या आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर दें। विशेष विकलांगता अवकाश राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है।
3. अराजपत्रित सरकारी सेवकों को विशेष विकलांगता अवकाश के अतिरिक्त मूल नियमों के अन्तर्गत अनुमन्य कोई भी अन्य अवकाश उस प्राधिकारी द्वारा जिसका कर्तव्य उस पद को यदि वह रिक्त होता, भरने का होता या वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 के भाग 4 में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिहित अधिकार सीमा के अधीन रहते हुए प्रदान किया जा सकता है।
4. राजपत्रित अधिकारियों को अवकाश देने के लिए साधारणतया शासन की स्वीकृति की आवश्यकता है, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 के भाग-4 में उल्लिखित किसी अन्य निम्नतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिनिहित अधिकारी सीमा के अधीन रहते हुए अवकाश प्रदान किया जा सकता है।
5. किसी अवकाश का दावा या मांग, अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता है। अवकाश लेने का दावा ऐसे नहीं किया जा सकता है जैसे कि वह एक अधिकार हो। जब जन सेवाओं की आवश्यकताएं ऐसी अपेक्षा करती हों, तो किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या अस्वीकृत करने का अधिकार, अवकाश प्रदान करने हेतु सक्षम

- प्राधिकारी के पास सुरक्षित हैं। इस सम्बन्ध में अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी, किसी अवकाश को जनहित में अस्वीकृत करने के लिए पूर्णतया सक्षम है।
6. अवकाश साधारणतया कार्यभार छोड़ने से प्रारम्भ होता है तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के पूर्ण दिवस को समाप्त होता है।
  7. बिना प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किये कोई सरकारी सेवक अवकाश काल में कोई लाभप्रद व्यवसाय या नौकरी नहीं कर सकता है। नियमतः अवकाश काल में कोई भी राजकीय कर्मचारी अन्यत्र कोई सेवा धनोपार्जन के उद्देश्य से नहीं कर सकता जब तक कि इस संबन्ध में उसके द्वारा सक्षम अधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न कर ली जाये।
  8. जन सेवा के हित में अवकाश प्रदान करने वाले प्राधिकारी को अवकाशाधीन सरकारी कर्मचारी को अवकाश का पूर्ण उपभोग किये बिना ड्यूटी पर वापस बुलाने का अधिकार है।
  9. चिकित्सा अवकाश का उपभोग करने के उपरान्त किसी भी कर्मचारी को सेवा में योगदान करने की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती तब तक कि उसके द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता। यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो अस्वस्थता पर लिये गये किसी अन्य श्रेणी के अवकाश के मामले में भी उपरोक्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र मांग सकता है।
  10. यदि कोई राजकीय कर्मचारी, अवकाश अवधि की समाप्ति के उपरान्त भी अनुपस्थित रहता है तो उसे ऐसी अनुपस्थिति की अवधि के लिए कोई अवकाश वेतन देय नहीं होगा एवं उक्त अवधि अर्ध औसत वेतन पद अवकाश के रूप में रेखांकित की जायेगी जब तक कि सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश अवधि बढ़ा न दी गयी हो। यदि बाद में वह अनुपस्थिति की अवधि का चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो इस अवधि को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर देय अवकाश से घटा दिया जायेगा किन्तु कोई अवकाश वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा।
  11. अवकाशोपरान्त जान बूझकर सेवा से अनुपस्थित, दुर्व्यवहार को श्रेणी में आती हैं एवं दण्डनीय अपराध है।
  12. सरकारी सेवक को निलम्बन की अवधि में अवकाश प्रदान नहीं किया जा सकता।
  13. सरकारी सेवक जिसे दुराचरण अथवा सामान्य अक्षमता के कारण सेवा से निकाला या हटाया जाना अपेक्षित हो, को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए।
  14. सरकारी कर्मचारियों को मुख्यतः निम्नांकित प्रकार के अवकाश अनुमन्य होते हैं जिनका उपभोग निर्धारित नियमों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा किया जा सकता है :-

1. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
2. अर्जित अवकाश (Earned Leave)
3. निजी कार्य पर अवकाश (Leave on Private Affairs)
4. चिकित्सा अवकाश (Leave on Medical Certificate)
5. मातृत्व अवकाश (Maternity Leave)
6. असाधारण अवकाश (Extra Ordinary Leave)
7. हॉस्पिटल अवकाश (Hospital Leave)
8. अध्ययन अवकाश (Study Leave)
9. विशेष विकलांगता अवकाश (Special Disability Leave)

10. लघुकृत अवकाश (Commuted Leave)
11. रोजगार अवकाश (Rozgar Leave)
12. प्रतिकर अवकाश (Compensatory Leave)
13. संगरोध अवकाश (Quarantine Leave)
14. दीर्घावकाश (Vacation Leave)
15. बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave)

### (य) अनुशासनिक कार्यवाही

सरकारी सेवकों के अनुशासित, चरित्रवान, ईमानदार एवं कर्तव्य परायण होने की अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली में उल्लिखित आचरण के प्रतिकूल आचरण अर्थात् दुराचरण में प्रवृत्त होने वाले लोक सेवकों को सम्यक दण्ड देने के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, विभागीय कार्यवाही या प्रशासनिक कार्यवाही निम्नानुसार की जा सकती है :-

- (1) जाँच कराने का विनिश्चय।
- (2) जाँच अधिकारी की नियुक्ति।
- (3) आरोप-पत्र तैयार करना।
- (4) आरोपित सेवक को आरोप-पत्र तामिल करना।
- (5) आरोपित सेवक को लिखित कथन प्रस्तुत करने का समय देना।
- (6) आरोपित सेवक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देना।
- (7) प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करना।
- (8) आरोपित सेवक को बचाव सहायक की सहायता लेने की अनुमति देना।
- (9) अभियोजन पक्ष अर्थात्, विभाग का साक्ष्य लेना।
- (10) बचाव पक्ष अर्थात् आरोपित सेवक का साक्ष्य लेना।
- (11) आरोपित सेवक से, उसके विरुद्ध साक्ष्य में आयी परिस्थितियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ कर स्पष्टीकरण लेना।
- (12) बहस सुनना।
- (13) साक्ष्य का अधिमूल्यन करना।
- (14) जाँच रिपोर्ट तैयार करना।
- (15) अनुशासनिक प्राधिकारी का अनन्तिम विनिश्चय।
- (16) आरोपित सेवक को जाँच रिपोर्ट की प्रतिलिपि देकर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर देना।
- (17) अनुशासनिक प्राधिकारी का अन्तिम विनिश्चय।
- (18) लोक सेवा आयोग से परामर्श (यदि आवश्यक हो)
- (19) दण्डादेश।

## (र) टिप्पणी व पत्राचार

किसी भी विचाराधीन पत्र के निस्तारण को सुगम बनाने तथा तत्संबंधी वस्तुस्थिति का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण करने के लिए जो लेख अंकित किया जाता है, उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी लिखने का उद्देश्य उन विषयों को, जिन पर निर्णय लिया जाना है, स्पष्ट रूप से तर्क सहित प्रस्तुत करना है। सुगम निर्णयन हेतु टिप्पणी लिखने तथा तदनुसार पत्रालेख प्रस्तुत करने में निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना चाहिए :-

1. सरलता व स्पष्टता।
2. शुद्धता व पूर्णता।
3. शिष्टता व संक्षिप्तता।
4. संयत व भद्रजनोत्तित भाषा।
5. सम्बोधन व स्वनिर्देश का सावधानीपूर्वक प्रयोग।


### पत्रों के प्रकार

1. शासनादेश (Government Order)
2. शासकीय पत्र (Official Letter)
3. परिपत्र (Circular)
4. द्रुतगामी (Fast Speed)
5. अर्धशासकीय पत्र (Demiofficial Letter)
6. अशासकीय पत्र (Unofficial Letter)
7. पृष्ठांकन (Endorsement)
8. कार्यालय ज्ञाप (Official Memorandum)
9. कार्यालय आदेश (Official Order)
10. विज्ञप्ति / अधिसूचना (Notification)
11. प्रेस विज्ञप्ति (Press Communique)
12. संकल्प (Resolution)
13. उद्घोषणा (Declaration)
14. अनुस्माक (Reminder)

## वित्त विभाग के कतिपय महत्वपूर्ण शासनादेशों की सूची

- |   |   |
|---|---|
| 1. स्वेच्छा से सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पेन्शन आदि में अतिरिक्त सेवा के लाभ का दिया जाना   | संख्या : 5/7/77 (3) कार्मिक-1<br>दिनांक 24-8-1977             |
| 2. सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों जिनके विरुद्ध वैभागीक अथवा न्यायिक कार्यवाही अथवा प्रशासनाधिकरण/सर्तकता जांच चल रही हो को अनन्तिम पेन्शन का भुगतान   | संख्या : 3-1679/दस-80-909-79<br>दिनांक 28-10-1980             |
| 3. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों और उनके परिवार के आश्रितों को श्रवण यंत्र तथा कृत्रिम दन्तावली की सुविधा  | संख्या : एम0एम0 188/5-7-1035-86<br>दिनांक 24 जून 1987         |
| 4. सेवारत सरकारी सेवकों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को श्रवण यंत्र तथा सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों (जिनमें राज्य सरकार के अधीन सेवा करते हुए अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी भी सम्मिलित हैं) व उनके परिवार के आश्रितों को श्रवण यंत्र तथा कृत्रिम दन्तावली की सुविधा हेतु प्रक्रिया का सरलीकरण | संख्या 3652/5-7-1035-86<br>दिनांक 3 अक्टूबर 1988              |
| 5. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त सरकारी तथा उनके परिवार के आश्रितों को कृत्रिम अंगों, पेसमेकर आदि की सुविधायें   | संख्या : 1402/5-7-89-1035/86<br>दिनांक 11 मई 1989             |
| 6. राज्य विश्वविद्यालयों में राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर विधिवत् चयनित एवं नियुक्त अध्यापकों की नवनि्युक्ति के समय पूर्व संस्थाओं में उनके द्वारा प्राप्त किये गये मूल वेतन का संरक्षण   | संख्या 3741/पन्द्रह (15)-41 (1)/80<br>दिनांक 20 जून 1989      |
| 7. अस्थाई सरकारी सेवकों की सेवा निवृत्ति / मृत्यु पर पेन्शनरी लाभों की अनुमन्यता  | संख्या : सा-3-1152/दस-915-89<br>दिनांक 1 जुलाई 1989           |
| 8. अधिवर्षता पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन, मृत्यु/सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी तथा राशिकरण की धनराशि की अदायगी में होने वाले विलम्ब को दूर करने हेतु वर्तमान कार्य प्रणाली का सरलीकरण  | संख्या सा-3-1713/दस-87-933/89<br>दिनांक 28 जुलाई 1989         |
| 9. सार्वजनिक उपक्रम/निगम, विश्वविद्यालय में कार्यरत सेवकों की राजकीय सेवा में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण/निर्धारित की सुविधा प्रदान किया जाना   | संख्या जी 2-359/दस-1998<br>दिनांक 12 जून 1998                 |
| 10. सेवा निवृत्ति आदि मामलों में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान   | संख्या : सा-4-393/दस-99-200/88<br>दिनांक 1 जुलाई 1999         |
| 11. उत्तर प्रदेश राज्य के पुर्नगठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य के सेवा निवृत्ति सरकारी सेवकों के सेवा नैवृत्तिक लाभों के भुगतान की प्रक्रिया   | संख्या सा-3-1783/1दस-2000-308(9)-2000<br>दिनांक 8 नवम्बर 2000 |
| 12. उत्तरांचल गठन के फलस्वरूप भविष्य निधि से सम्बन्धित भुगतान   | संख्या 0058/वि0स0/कैम्प/200-2001<br>दिनांक 29 नवम्बर 2000     |

13. 9 नवम्बर 2000 या तदुपरान्त सेवानिवृत्त उत्तरांचल राज्य हेतु नियुक्त या विकल्प देने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों के सेवा नैवृत्तिक लाभ स्वीकृत करने के सम्बन्ध में संख्या 0045/स0वि0उ0/कैम्प/2000 दिनांक 29 दिसम्बर 2000
14. उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2009 के अधीन दिनांक 9 नवम्बर 2000 के पूर्व के अवशेष भुगतान के सम्बन्ध में संख्या 0037/26-स0वि0/कैम्प/2001 दिनांक 5 फरवरी 2001
15. सरकारी कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान तथा प्रभावी लेखा प्रणाली हेतु कोषागारों में "एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली" लागू किया जाना संख्या 235/21/वि0अनु0-1/2001 दिनांक 06 दिसम्बर 2001
16. उत्तरांचल क्षेत्र में पर्वतीय विकास भत्ता संख्या 692/वि0अनु0-3/2002 दिनांक 11 फरवरी 2003
17. उत्तरांचल सामान्य भविष्य निधि संशोधन नियमावली, 2007 संख्या 277 xxvii / (7) 2007 दिनांक 24 अक्टूबर 2007
18. दिनांक 1 अक्टूबर 2005 से लागू अंशदायी पेंशन योजना से सम्बन्धी शासनादेश संख्या 21/xxvii (7)/अं0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 का स्पष्टीकरण संख्या : 3259/नि0ले0ह0/13/अं0पें0यो0/2008 दिनांक 2 जनवरी 2008
19. छठें केन्द्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के कम में केन्द्र सरकार की भांति 1-1-2006 के पूर्व के राज्य सरकार के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षण किया जाना संख्या 5421/ xxvii (7) पेंशन /2008 दिनांक 27 अक्टूबर 2008
20. राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की संस्तुति के कम में 1-1-2006 से लागू पुनरीक्षित महंगाई राहत स्वीकृत किया जाना। संख्या 420/ XXVII (7) मं.स. /2008 दिनांक 27 अक्टूबर 2008
21. छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार के द्वारा लिए गये निर्णयों के कम में वेतन समिति 1 उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 1.1.2006 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन संख्या 419/ XXVII (7)/2008. दिनांक 27 अक्टूबर 2008
22. उत्तराखण्ड रिटायरमेन्ट बेंनिफिट्स (संशोधन) नियमावली 2009 संख्या : 26 xxvii (7)/2008 दिनांक 30 जनवरी 2009
23. वेतन समिति (2008) के द्वितीय प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य सरकार के सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के दिनांक 1.1.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे की स्वीकृति तथा पेंशन का पुनरीक्षण संख्या 25/ XXVII (7) द्वि0प्रति0/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009
24. उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मसिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक संख्या 37 (1)/ XXVII (7)/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009



- 1 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण
25. वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन
26. वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गए शासन के निर्णय के अनुसार पर्वतीय विकास भत्ता की दरों में संशोधन
27. स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रोत्साहन दिये जाने की व्यवस्था
28. दिनांक 1-1-2006 अथवा इसके पश्चात् नियुक्त सीधी भर्ती के कार्मिकों के विभिन्न वेतन बैंडों में वेतन निर्धारण के संबंध में
29. वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय के अनुसार प्रतिनियुक्ति भत्ता की दरों में संशोधन
30. उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 1 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण
31. राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान के प्रकरण छः माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय से मिलान हेतु प्रेषित किया जाय
32. उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण
33. सुनिश्चित वित्तीय स्तरोन्ययन/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (ए0सी0पी0) लागू किया जाना
34. यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण
35. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के समयमान वेतनमान में आ रही विसंगति के निराकरण के संबंध में 31-7-2007 के शासनादेश का स्पष्टीकरण
36. यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन का शुद्धि पत्र
37. दिनांक 1-1-2008 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए राज्य सरकार के पेंशनर्स का दिनांक 1-1-2006 के बाद पुर्ननियुक्ति होने पर वेतन का निर्धारण
38. एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के माध्यम से वेतन के अतिरिक्त
- संख्या 38/XXVII (7) म0कि0/2008  
दिनांक 13 फरवरी 2009
- संख्या 39/XXVII (7) प0वि0भ0/2009  
दिनांक 13 फरवरी 2009
- संख्या 40/XXVII (7) स्वै0परि0क0/2009  
दिनांक 13 फरवरी 2009
- संख्या 41/XXVII (7) सी0भर्ती0/2009  
दिनांक 13 फरवरी 2009
- संख्या 42/XXVII (7) प0वि0भ0/2009  
दिनांक 13 फरवरी 2009
- संख्या 37 /XXVII (7) सा0बी0यो0/2009  
दिनांक 13 फरवरी 2009
- संख्या : 82/ xxvii (1)/2008  
दिनांक 13 फरवरी 2009
- संख्या : 37/ xxvii (सा0बी0यो0)/2009  
दिनांक 13 फरवरी 2009
- संख्या 75/ XXVII (7) ए0सी0पी0/2009  
दिनांक 28 फरवरी 2009
- संख्या 78/XXVII (7)/2009  
दिनांक 1 मार्च 2009
- संख्या : 86 xxvii (7)/2009  
दिनांक 12 मार्च 2009
- संख्या 100/ xxvii (7)/2008/  
दिनांक 31 मार्च 2009
- संख्या : 218/ xxvii (7)/2009  
दिनांक 12 अगस्त 2009
- संख्या : 1259/ xxiv (7)/2009

- नियमित रूप से स्वीकृत होने वाले महंगाई भत्ते का कोषागारों द्वारा भुगतान किया जाना
- दिनांक 25 नवम्बर 2009
39. यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण
- संख्या 411/ XXVII (7) 2010  
दिनांक 06 जनवरी 2010
40. वेतन समिति की संस्तुतियों के कम में समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए संशोधन वेतन संरचना में स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाय
- संख्या : 83/ xxvii (7)/2010  
दिनांक 7 जनवरी 2010
41. राज्य सरकार के कर्मियों के लिए भारत सरकार की मोडीफाईड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अनुरूप व्यवस्था लागू किया जाना
- संख्या 444/ XXVII (7) ए0सी0पी0 (1)/2010  
दिनांक 09 फरवरी 2010
42. विभागाध्यक्ष एवं अधीनस्थ कार्यालयों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन एवं वेतनमान संशोधन
- संख्या 443/ XXVII (7)/2010  
दिनांक 9 फरवरी 2010
43. एकीकृत भुगतान एवं लेखा प्रणाली के माध्यम से वेतन, महंगाई भत्ता, एरियर/पेंशन का कोषागारों द्वारा भुगतान करने की वर्तमान प्रणाली को और अधिक प्रभावशाली बनाये जाने के सम्बन्ध में
- संख्या : 232/ xxvii/2010  
दिनांक 19 अप्रैल 2010
44. सेवानिवृत्त कर्मचारियों/ अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के 90 प्रतिशत भुगतान के प्रकरण छः माह पूर्व महालेखाकार कार्यालय से मिलान हेतु प्रेषित किया जाना
- संख्या : 300/ xxvii (1)/2010  
दिनांक 03 जून 2010
45. अंशदान पेंशन योजना
- संख्या : 643/xxvii (7) /2010  
दिनांक 11 अगस्त 2010
46. उत्तराखण्ड राज्य के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों के वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण
- संख्या 488/ XXVII -2/2010-06(39)/2005  
दिनांक 19 अगस्त 2010
47. दिनांक 1-1-2006 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों के फलस्वरूप एक माह के वेतन के बराबर भुगतान किये गये मानदेय के अवशेष भुगतान के संबंध में
- संख्या 726/ XXVII (7)/2010  
दिनांक 14 अक्टूबर 2010
48. स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्या 40/XXVII (7) स्व0 प0क0/2009 दिनांक 13 फरवरी 2009 में संशोधन
- संख्या 736/ XXVII (7) स्वै0प0क0/2010  
दिनांक 27 अक्टूबर 2010
49. पूर्व वेतनमान में समयमान वेतनमान वाले पद के पुनरीक्षित वेतनमान के सादृश्य ग्रेड पे के पद पर पदोन्नति होने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य करने के संबंध में
- संख्या 729/ XXVII (7)/2010  
दिनांक 29 अक्टूबर 2010
50. पेंशनर्स की पेंशन का पुनरीक्षण
- संख्या : 835/ xxvii (7)/2011  
दिनांक 28 फरवरी 2011
- 51 वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों के आशुलिपिक संवर्ग के संबंध में की गई संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में
- संख्या 875/XXVII (7) न0 प्रति0/2011  
दिनांक 08 मार्च 2011

52. राज् कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की यवस्था संख्या 872/ XXVII (7) न0 प्रति0/2011 दिनांक 8 मार्च 2011
53. राज्कीय विभागों के चतुर्थ श्रेण संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन / उच्चिकृत के संबध में संख्या 877/ XXVII (7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च 2011
54. राज्कीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन / उच्चिकृत किये जाने संबधी शासनादेश सं0 877/ XXVII (7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च 2011 का संशोधन संख्या 888/ XXVII (7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च 2011
55. राज्कीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन का दिनांक 01 -01-2006 से काल्पनिक आधार पर तथा दिनांक 24-3-2011 से वस्तविक आधार पर संशोधन संख्या 07/XXVII (7) /27(V)/2011 दिनांक 06 अप्रैल 2011
56. राज्कीय विभागों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन / उच्चिकरण विषय शासनादेश सं0 877/ XXVII (7)च0श्रे0/2011 दिनांक 24 मार्च 2011 के प्रस्तर-3 में संशोधन संख्या 63/ XXVII (7) 27 (8)/2011 दिनांक 05 जुलाई 2011
57. आशुलिपिक संवर्ग के पदनाम संख्या 963/XXX(2)/2011 दिनांक 25 जुलाई 2011

NUEPA DC



D14295

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 शिक्षा/135-23-8-2012-300 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/रीजियो)।